मास्टर परिपत्र

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)
और
सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)

विषयवस्तु

क्र.	विषय	
1.	परिचय	1
2.	सामान्य	1
3.	अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए आरक्षित नकदी निधि	1
3.1	सांविधिक सीआरआर अपेक्षाएं	1
3.2	वृद्धिशील सीआरआर	2
3.3	सीआरआर के लिए बहु-निर्धारण	2
3.4	सीआरआर बनाए रखना	2
3.5	दैनिक आधार पर सीआरआर बनाए रखना	2
3.6	सीआरआर का परिकलन	2
3.7	सीआरआर के लिए निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का अभिकलन	3
3.8	विदेशों से उधार	3
3.9	विप्रेषण सुविधाओं के लिए प्रतिनिधि बैंकों (कोरेसपांडेंट बैंक) के साथ व्यवस्था	3
3.10	एफसीएनआर (बी) जमाराशि तथा आईबीएफसी जमाराशि से ऋण	3
3.11	छूट प्राप्त श्रेणियां	3
3.12	नकदी शेष बनाए रखना	4

3.13	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखे सीआरआर शेष पर कोई ब्याज देय नहीं	4
3.14	सूचना देने की आवश्यकता	4
3.15	विवरणी प्रस्तुत न करने / विलंब से प्रस्तुत करने के लिए दंड	4
4.0	ग़ैर-अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)	5
4.1	सीआरआर के लिए निवल मांग और मीयादी देयताओं का अभिकलन	5
4.2	सूचना देने की आवश्यकता	5
4.3	दंड	6
5.0	अनुसूचित तथा ग़ैर-अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक के लिए सांविधिक नकदी रिज़र्व	6
5.1	एसएलआर के लिए वर्तमान निर्धारण	6
5.2	एसएलआर का परिकलन	6
5.3	सांविधिक चलनिधि अनुपात बनाए रखने का तरीका	6
5.4	अनुमोदित प्रतिभूतियों के संबंध में स्पष्टीकरण / अपेक्षाएं	7
5.5	सरकारी प्रतिभूतियों में न्यूनतम एसएलआर धारित करना	8
5.6	एसएलआर के लिए प्रतिभूतियों का वर्गीकरण और मूल्यन	9
5.7	एसएलआर के लिए निवल मांग और मीयादी देयताओं का अभिकलन	9
5.8	सूचना देने की आवश्यकता	10
5.9	दंडात्मक उपबंध	10
5.10	अन्य दंडात्मक उपबंध	11
	अनुबंध - 1	12
	अनुबंध - 2	16
	अनुबंध - 3	20
	अनुबंध - 4	24
	अुनबंध - 5	28
	अनुबंध - 6	30

अनुबंध - 7	31
अनुबंध - 8	33
अनुबंध - 9	43
परिशिष्ट	46

मास्टर परिपत्र

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)
और
सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)

1. परिचय

1.1 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (अनुसूचित और गैर-अनुसूचित) के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) का निर्धारित स्तर बनाए रखना आवश्यक है।

1.2 आरक्षित नकदी निधि अनुपात के संबंध में अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42 (1) के उपबंधों द्वारा नियंत्रित होते हैं जबकि गैर-अनुसूचित बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 18 के उपबंधों द्वारा नियंत्रित होते हैं।

1.3 सांविधिक चलनिधि अनुपात बनाए रखने के लिए सभी बैंक (अनुसूचित और गैर-अनुसूचित) उक्त अधिनियम की धारा 24 के उपबंधों द्वारा नियंत्रित होते हैं।

1.4 इन सभी पहलुओं से संबंधित वर्तमान अनुदेश जो इस परिपत्र के जारी होने की तारीख़ तक परिचालन में हैं उनका ब्यौरा नीचे के पैराग्राफ में दिया गया है।

2. सामान्य

विभिन्न फॉर्म/विवरणियां बैंककारी विनियमन (सहकारी सोसायटियां) नियम, 1966 में दी गई हैं।

बैंक की दिन-प्रतिदिन की नकदी स्थिति की निगरानी करने के लिए सभी प्राथमिक सहकारी बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि अनुबंध 8 में दिए गए प्रारूप के अनुसार एक रजिस्टर बनाकर रखें जिसमें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 18 एवं 24 के अंतर्गत आरक्षित नकदी निधि एवं चलनिधि आस्तियों की दैनिक आधार पर स्थिति दर्शायी गई हो।

दैनिक आधार पर रजिस्टर बनाकर रखने का कार्य एक जिम्मेदार अधिकारी को सौंपा जाए और उसे प्रतिदिन मुख्य कार्यपालक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए जो प्रतिदिन कारोबार की समाप्ति पर सांविधिक नकदी संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

रजिस्टर के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत आंकड़ों के संग्रहण को सहज बनाने के लिए नियमों के एक भाग के रूप में प्रत्येक मद के संबंध में स्पष्टीकरण, जैसा कि फॉर्म I की पाद-टिप्पणियां में है, अनुबंध 9 के अंतर्गत दिया गया है। तथापि, यह नोट किया जाए कि अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42 के अनुसार आरक्षित नकदी निधि अनुपात संबंधी अपेक्षाओं की गणना करना अनिवार्य है।

3. अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों के लिए आरक्षित नकदी निधि

सांविधिक सीआरआर अपेक्षाएं: पहले, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42(1) के अनुसार अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों से पखवाड़े के दौरान उसके दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के बाद आनेवाले अंतिम शुक्रवार को भारत में अपनी कुल मांग और मीयादी देयताओं (डीटीएल) का 3% न्यूनतम औसत दैनिक शेष भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बनाए रखना अपेक्षित है। उसके बाद भारतीय रिज़र्व बैंक को राजपत्र अधिसूचना के जरिए कथित दर को बढ़ाकर मांग और मीयादी देयताओं के 15% तक तक करने की शक्ति भी दी गई थी। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 में संसद द्वारा जून 2006 में संशोधन किया गया था और 01 अप्रैल 2007 से भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) विधेयक, 2006 प्रभावी हो गया। संशोधन के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) में संशोधन किया गया ताकि देश में मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने की जरूरतों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित बैंकों के लिए बिना किसी न्यूनतम नियत दर या उच्चतम दर के आरक्षित नकदी निधि अनुपात निर्धारित कर सके। तदनुसार, 01 अप्रैल 2007 से भारतीय रिज़र्व बैंक देश में मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने की जरूरतों के संबंध में अनुसूचित बैंकों के लिए बिना किसी न्यूनतम नियत दर या उच्चतम दर के आरक्षित नकदी निधि अनुपात निर्धारित करता है।

वृद्धिशील सीआरआर

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) क के अनुसार अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उक्त अधिनियम की धारा 42 (1) के अंतर्गत निर्धारित शेष के अतिरिक्त एक अतिरिक्त औसत दैनिक शेष बनाए रखें जिसकी राशि भारत

के राजपत्र में समय-समय पर प्रकाशित अधिसूचना के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दर से कम नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की अतिरिक्त शेष राशियों की गणना अधिसूचना में निर्दिष्ट तारीख़ को कारोबार की समाप्ति पर बैंक की कुल मांग और मीयादी देयताओं (डीटीएल) के ऊपर उसकी अतिरिक्त राशि के संदर्भ में की जाएगी, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अंतर्गत संदर्भित विवरणी में प्रदर्शित किया गया है।

वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कोई वृद्धिशील सीआरआर निर्धारित नहीं किया गया है।

सीआरआर के लिए बहु-निर्धारण

सीआरआर तथा एसएलआर बनाए रखने के प्रयोजन से रिज़र्व बैंक किसी भी लेनदेन या लेनेदेन की किसी भी श्रेणी को समय-समय पर विनिर्दिष्ट कर सकता है जिसे अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक की भारत में देयता माना जाएगा।

सीआरआर बनाए रखना

वर्तमान में 17 जनवरी 2009 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सीआरआर निम्नलिखित खंड 3.11 में उल्लिखित छूटों के लिए समायोजित बैंक की निवल मांग और मीयादी देयताओं का 5.00 प्रतिशत है। सीआरआर निर्धारण में किए गए परिवर्तनों की अनुसूची का ब्यौरा निम्नांकित सारिणी में दिया गया है:

प्रभावी तारीख़ (से प्रारंभ होने वाला पखवाड़ा)	निवल मांग और मीयादी देयताओं पर सीआरआर (प्रतिशत)
06 जनवरी 2007	5.50
17 फरवरी 2007	5.75
03 मार्च 2007	6.00
14 अप्रैल 2007	6.25
28 अप्रैल 2007	6.50
04 अगस्त 2007	7.00
10 नवंबर 2007	7.50
26 अप्रैल 2008	7.75
10 मई 2008	8.00
24 मई 2008	8.25
05 जुलाई 2008	8.50
19 जुलाई 2008	8.75
30 अगस्त 2008	9.00
11 अक्तूबर 2008	6.50
25 अक्तूबर 2008	6.00
08 नवंबर 2008	5.50
17 जनवरी 2009	5.00

दैनिक आधार पर सीआरआर बनाए रखना

अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों को लचीलापन प्रदान करने तथा वे अपने आंतर अवधि नकदी प्रवाह के आधार पर आरक्षित निधि धारित करने की इष्टतम कार्यनीति का चुनाव कर सकें-इसके लिए वर्तमान में उनसे यह अपेक्षित है कि पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार औसत दैनिक शेष के आधार पर अपनी निवल मांग एवं मीयादी देयताओं के आधार पर निर्धारित सीआरआर शेष का न्यूनतम 70 प्रतिशत बनाए रखें।

सीआरआर का परिकलन

बैंकों द्वारा नकदी प्रबधंन में सुधार लाने के लिए, सरलीकरण के एक उपाय के रूप में अनुसूचित बैंकों द्वारा निर्धारित सीआरआर बनाए रखने के लिए दो सप्ताह के कालखंड की शुरूआत की गई है। इस तरह, 6 नवंबर 1999 से आरंभ पखवाड़े से प्रत्येक बैंक को पखवाड़े के दौरान दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार अपने एनडीटीएल पर आधारित अर्थात 22 अक्तूबर 1999 और उस से आगे के सूचना देनेवाले शुक्रवार की स्थिति के अनुसार एनडीटीएल पर आधारित सीआरआर बनाए रखना होगा।

सीआरआर के लिए निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का अभिकलन

(i) किसी बैंक की देयताएं मांग या मीयादी जमाराशियों या उधारों या देयताओं की अन्य विविध मदों के रूप में हो सकती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार किसी बैंक की देयताएं बैंकिंग प्रणाली अथवा अन्य के प्रति हो सकती हैं। "मांग देयतओं" में वे सभी देयताएं शामिल हैं जो मांग पर देय हैं। "मीयादी देयताएं" वे देयताएं है जो मांग के अलावा अन्यथा देय हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) (ग) के अनुसार रिज़र्व बैंक किसी आस्ति विशेष को वर्गीकृत करने के लिए प्राधिकृत है और इसलिए किसी विशेष देयता के वर्गीकरण के संबंध में किसी संदेह की स्थिति में बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे आवश्यक स्पष्टीकरण के लिए रिज़र्व बैंक से संपर्क करें।

(ii) डीटीएल अभिकलन, बैंकिंग प्रणाली को देयताएं, बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आस्तियां, एनडीटीएल आदि का वर्णन अनुबंध I में विस्तार से किया गया है।

विदेश स्थित बैंकों से उधार

भारत में स्थित बैंकों द्वारा विदेशों से लिए गए ऋण/उधार को "अन्य के प्रति देयताएं" माना जाएगा तथा वे आरक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं के अधीन होंगे।

विप्रेषण सुविधाओं के लिए प्रतिनिधि बैंकों (कोरेसपांडेंट बैंक) के साथ व्यवस्था

जब कोई बैंक अपनी विप्रेषण सुविधा योजना के अंतर्गत किसी ग्राहक से निधियां स्वीकार करता है तो वह उसकी बहियों में देयता (अन्य के प्रति देयता) बन जाती है। निधियां स्वीकार करने वाले बैंक की देयता केवल तभी समाप्त होगी जब प्रतिनिधि बैंक निधि स्वीकार करने वाले बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को जारी ड्राफ्टों का भुगतान करता है। इस प्रकार विप्रेषण सुविधा योजना के अंतर्गत निधि स्वीकार करने वाले बैंक द्वारा प्रतिनिधि बैंक को अपने ग्राहकों को जारी ड्राफ्टों के संबंध में शेष राशि तथा शेष अदत्त राशि निधि स्वीकार करने वाले बैंक की बहियों में "भारत में अन्य के प्रति देयताएं" शीर्ष के अंतर्गत बाह्य देयता के रूप में दर्शायी जानी चाहिए और सीआरआर/एसएलआर प्रयोजन के लिए निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के अभिकलन हेतु भी उसे हिसाब में लिया जाना चाहिए।

प्रतिनिधि बैंकों को प्राप्त राशि को उनके द्वारा "अन्य के प्रति देयता" के रूप में न दर्शाकर "बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयता" के रूप में दर्शाया जाना चाहिए और इस देयता को प्रतिनिधि बैंकों द्वारा अंतर-बैंक आस्तियों के प्रति संमजित किया जा सकता है। इसी प्रकार, ड्राफ्ट/ब्याज/लाभांश जारी करने वाले बैंकों द्वारा रखी जाने रकम को उनकी बहियों में "बैंकिंग प्रणाली के प्रति आस्तियों" के रूप में माना जाना चाहिए और उनको अंतर-बैंक देयताओं से संमजित किया जा सकता है।

3.10 एफसीएनआर (बी) जमाराशि तथा आईबीएफसी जमाराशि से ऋण

विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक), (एफसीएनआर [बी] जमाराशि योजना) तथा अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा (आईबीएफसी) जमाराशि को फॉर्म "क" के अंतर्गत सूचना देते समय बैंक ऋण के एक हिस्से के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। सूचना देने के प्रयोजन से बैंकों को अपनी एफसीएनआर (बी) जमाराशियों, समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा आस्तियों तथा भारत में विदेशी मुद्रा में बैंक ऋण को सूचना देने वाले शुक्रवार को दोपहर की फिदाई (FEDAI) माध्य-दर पर संपरिवर्तित करना चाहिए।

3.11 छूट प्राप्त श्रेणियां

अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों को निम्नलिखित देयताओं पर सीआरआर बनाए रखने से छूट दी गई है।

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के स्पष्टीकरण के खंड (घ) के अंतर्गत संगणित किए गए अनुसार बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं

(ii) एसीयू (अमरीकी डॉलर) खातों में बकाया क्रेडिट

(iii) भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआईएल) के साथ सीबीएलओ में लेनदेन

(iv) शहरी सहकारी बैंकों को अगला आदेश जारी होने तक उनके द्वारा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के चालू खाते में जमा की गई जमाराशियों की सीमा तक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 18 के अंतर्गत सीआरआर बनाए रखने अथवा उक्त अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 24 के अंतर्गत नकद, स्वर्ण या भर-रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में आस्तियां बनाए रखने की बाध्यता से छूट दी जाए ।
(15 दिसंबर 2008 की अधिसूचना के साथ पठित 29 जनवरी 2009 का परिपत्र संदर्भ.शबैंवि.बीपीडी (पीसीबी).परि.सं.41 /12.05.001/2008-09)

3.12 नकदी शेष बनाए रखना

सीआरआर बनाए रखने के प्रयोजन के लिए प्रत्येक अनुसूचित बैंक के लिए जहां उसका प्रधान कार्यालय स्थित है उस केंद्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के जमा लेखा विभाग (डीएडी) में एक प्रधान खाता रखना आवाश्यक है।

3.13 भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखे सीआरआर शेष पर कोई ब्याज देय नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में किए गए संशोधन जिसके द्वारा धारा 42 की उप-धारा (1बी) को निरस्त कर दिया गया है, को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों को उनके द्वारा बनाए रखे गए सीआरआर शेष पर 31 मार्च 2007 से कोई ब्याज नहीं अदा करता है।

3.14 सूचना देने की अपेक्षाएं

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित बैंक के लिए फार्म बी(अनुबंध 2) में प्रत्येक एकांतर शुक्रवार को कारोबार की समाप्ति की स्थिति की एक विवरणी संबंधित तारीख के बाद सात दिनों के अंदर रिज़र्व बैंक को भेजना आवश्यक है।

विवरणी दो जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और उसमें संबंधित जानकारी दी गई हो। बैंक के एक या अधिक कार्यालयों के लिए ऐसा एकांतर शुक्रवार यदि परक्राम्य लिखत अधिनिमय, 1881 के अंतर्गत सार्वजनिक छुट्टी हो तो विवरण में ऐसे कार्यालय या कार्यालयों के लिए पूर्ववर्ती दिन के आंकडे प्रस्तुत किए जाएं लेकिन तब भी उन आंकडों को उस शुक्रवार से संबंधित माना जाना चाहिए।

(ii) उक्त विवरणी के प्रयोजन के लिए जहां माह का अंतिम शुक्रवार एकांतर शुक्रवार नहीं है वहां बैंक को ऐसे शुक्रवार को कारोबार की समाप्ति की स्थिति की ऊपर बताए गए ब्योरे दर्शाते हुए फार्म बी में एक विशेष विवरणी भेजनी चाहिए अथवा जहां अंतिम शुक्रवार पराक्रम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत सार्वजनिक छुट्टी हो वहां पूर्ववर्ती कार्यदिवस की समाप्ति की स्थिति के अनुसार ऐसी विवरणी संबंधित तारीख के बाद सात दिनों के अंदर प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

(iii) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियिम के विनियमन 7 और अनुसूचित बैंक विनियमावाली 1951 के अनुसार बैंकों के लिए 31 मार्च और 30 सितंबर को कारोबार की समाप्ति की स्थिति के अनुसार अपनी बचत बैंक जमाराशियों के अनुपात का परिकलन मांग और मीयादी देयताओं में करना और उसे अनुबंध 2 में दिए निर्धारित फार्म में सूचित करना आवश्यक है।

(iv) जहां पाक्षिक विवरणी में सूचित की जा रही निधियों के स्त्रोतों और उसके उपयोग में भारी अंतर हो और यह अंतर 20% से अधिक हो तो संबंधित बैंक को ऐसे भारी अंतर का स्पष्टीकरण देना चाहिए।

(v) अनुसूचित बैंक विनियमावली के विनियम 5(1)(ग) के अनुसार बैंकों के लिए अधिनियम की धारा 42(2) के अंतर्गत निर्धारित बैंक विवरणियां बैंक की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत बैंक अधिकारियों के नाम, पदनाम, और नमूना हस्ताक्षरों की एक सूची रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना आवश्यक है। इन अधिकारियों में से दो अधिकारी बैंक विवरणी हस्ताक्षर कर सकते हैं। पदधारिता में परिवर्तन होने पर बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक को नए हस्ताक्षरों का सेट भेजना होगा।

3.15 विवरणी प्रस्तुत न करने / विलंब से प्रस्तुत करने के लिए दंड:

विवरणी प्रस्तुत न करने / विलंब से प्रस्तुत करने पर बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(4) के उपबंधों के अनुसार उसमें बताए गए दंड का भागी होगा।

(क) सीआरआर बनाए रखने में चूक होने पर 24 जून 2006 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से निम्नलिखित प्रकार दंडात्मक ब्याज लगाया जाएगा:

(i) दैनिक आधार पर अनिवार्य सीआरआर बनाए रखने, जो वर्तमान में कुल आरक्षित नकदी निधि अनुपात का 70% है, में चूक होने पर उस दिन के लिए उतनी राशि पर बैंक दर से 3% प्रतिवर्ष अधिक की दर पर दंडात्मक ब्याज वसूल किया जाएगा वास्तव में जितनी उस दिन बनायी रखी गई निर्धारित न्यूनतम राशि कम हो और यदि यह कमी अगले कई दिनों तक जारी रहे तो बैंक दर से 5% प्रतिवर्ष अधिक की दर पर दंडात्मक ब्याज वसूल किया जाएगा।

(ii) किसी पखवाड़े के दौरान औसत आधार पर सीआरआर बनाए रखने में चूक की स्थिति में दंडात्मक ब्याज भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (3) के अनुसार वसूल किया जाएगा।

(ख) जब भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (3) के उपबंधों के अंतर्गत बैंक दर से 5 प्रतिशत अधिक का दंडात्मक ब्याज देय हो गया है -

(i) अनुसूचित बैंक के प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक या सचिव जो जानबूझकर या इरादतन चूक का पक्ष है, पर अर्थदंड लगाया जाएगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है और उसके बाद प्रत्येक पखवाड़े जिसके दौरान चूक जारी रहती है, के लिए पांच सौ रुपये का अर्थदण्ड लगाया जाएगा।

(ii) रिज़र्व बैंक कथित पखवाड़े के बाद अनुसूचित बैंक को कोई नई जमाराशि स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर सकता है और यदि बैंक ने इस खंड में उल्लिखित प्रतिबंध का अनुपालन करने में चूक की हो तो संबंधित बैंक का प्रत्येक निदेशक तथा अधिकारी जो अपनी जानकारी में अथवा जान-बूझकर इस प्रकार की चूक का पक्ष हो अथवा जो लापरवाही या अन्य किसी तरह ऐसी चूक में भागीदार हो तो वह ऐसी प्रत्येक चूक के संबंध में अर्थदंड का भागी होगा जो पाँच सौ रुपये तक हो सकता है और उस पर आगे पाँच सौ रुपये का अर्थदंड पहले अर्थदंड की तारीख जिस दिन अनुसूचित बैंक द्वारा ऐसे प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए कोई जमाराशि स्वीकार की गई हो, के बाद प्रत्येक दिन के लिए लगाया जा सकता है।

4.0 ग़ैर-अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 18 के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक सहकारी बैंक (जो अनुसूचित बैंक नहीं हैं) के लिए दैनिक आधार पर नकदी रिज़र्व बनाए रखना आवश्यक है जिसकी राशि दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार उसकी मांग और मीयादी देयताओं के 3% से कम नहीं होगी और वह प्रत्येक माह के पंद्रहवें दिन के पहले रिज़र्व बैंक को एक विवरणी प्रस्तुत करेगा जिसमें वह ऐसे शुक्रवारों को भारत में माँग एवँ मीयादी देयताओं के विवरण के साथ एक माह के दौरान एकांतर शुक्रवार को तथा यदि ऐसा कोई शुक्रवार परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश हो तो उक्त विवरणी पूर्ववर्ती कार्य दिवस को कारोबार की समाप्ति पर इस प्रकार धारित राशि को दर्शाएगी। इस शेष को स्वयं नकदी संसाधनों द्वारा अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक या संबंधित राज्य के राज्य सहकारी बैंक के किसी चालू खाते में शेष द्वारा अथवा संबंधित जिले के केंद्रीय सहकारी बैंक के चालू खातों में निवल शेष द्वारा अथवा उपर्युक्त में से एक या अधिक तरीकों द्वारा बनाए रखा जाए। 29 जनवरी 2009 से अगले आदेश तक आईडीबीआई बैंक के चालू खाते में रखी गयी जमा राशि की सीमा तक प्राथमिक सहकारी बैंकों को अधिनियम की धारा 18 के अनुसार नकदी रिज़र्व बनाए रखने में छूट दी गयी है।

4.1 सीआरआर के लिए निवल मांग और मीयादी देयताओं का अभिकलन

मांग और मीयादी देयताओं, बैंकिंग प्रणाली को देय देयताओं, बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियों और निवल मांग और मीयादी देयताओं के परिकलन की पद्धति अनुबंध 3 में विस्तार से बताई गई है।

4.2 सूचना देने की आवश्यकता

(i) गैर-अनुसूचित बैंकों के लिए अनुबंध 4 में दिए गए प्रारूप में फार्म I में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को संबंधित माह की समाप्ति से 20 दिनों के अंदर एक विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है जिसमें अन्य बातों के साथ - साथ बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 18 के अंतर्गत माह के दौरान प्रत्येक एकांतर शुक्रवार को कारोबार की समाप्ति पर बनाए रखे गए नकदी रिज़र्व और भारत में ऐसे शुक्रवार को या ऐसे किसी शुक्रवार को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत यदि सार्वजनिक अवकाश हो तो पूर्ववर्ती कार्य दिवस की समाप्ति पर अपने डीटीएल के ब्योरे सूचित किए गए हों।

(ii) गैर-अनुसूचित बैंकों के लिए फार्म I में विवरणी के साथ अनुबंध 5 में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार परिशिष्ट I में निम्नलिखित की स्थिति दर्शाना आवश्यक है :

- (क) उक्त अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत बनाए रखा जानेवाला नकदी रिज़र्व
- (ख) वास्तव में बनाए रखा गया नकदी रिजर्व, और
- (ग) माह के प्रत्येक दिन कमी / आधिक्य की मात्रा

4.3 दंड

गैर-अनुसूचित बैंक अपेक्षित नकदी रिज़र्व बनाए रखना सुनिश्चित करें और परिशिष्ट I (अनुबंध V) के साथ निर्धारित विवरणी निर्धारित समय में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करें। समय पर विवरणियां प्रस्तुत न करने पर उक्त अधिनियम की धारा 46(4) के उपबंध लागू होंगे जिनके अनुसार बैंक उनमें बताए गए दंडों का भागी होगा। अत: बैंकों को चाहिए कि वे अपने हित में ऊपर बताई गई धारा 18 के निर्धारणों का सख्ती से पालन करें।

5.0 सांविधिक नकदी रिज़र्व
(अनुसूचित तथा ग़ैर-अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक)

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 24(1) तथा 24(2क)(क) के अनुसार प्रत्येक बैंक (अनुसूचित और गैर-अनुसूचित) के लिए दैनिक आधार पर नकद आस्तियां बनाए रखना आवश्यक है जिसकी राशि भारत में दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को उसकी मांग और मीयादी देयताओं के 25% से कम अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्दिष्ट ऐसे किसी अन्य प्रतिशत से अधिक नहीं होगी जो 40% से अधिक नहीं होगा।

5.1 एसएलआर का वर्तमान निर्धारण

वर्तमान में बैंकों के लिए भारत में अपनी मांग और मीयादी देयताओं के 25% का एकसमान एसएलआर बनाए रखना आवश्यक है।

5.2 एसएलआर का परिकलन

इस प्रतिबद्धता अर्थात रखी गई/प्रयुक्त प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने वाले बैंकों/भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए जाने वाले दैनिक विवरण के अनुपालन की निगरानी साधारणतया विवरणी में फार्म 1 में दर्शाए गए अनुसार संबंधित एकांतर शुक्रवार को एसएलआर की स्थिति के संदर्भ में की जाती है।

बैंकों के लिए सीबीएलओ के माध्यम से लिए गए उधारों पर एसएलआर बनाए रखना आवश्यक है । तथापि, सीएसजीएल सुविधाओं के अंतर्गत सीसीआईएल के पास बैंक के गिल्ट खाते में रखी प्रतिभूतियों के किसी भी दिन के अंत में ऋणग्रस्त रहित रहने पर संबंधित बैंक द्वारा उसे एसएलआर के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए, सीसीआईएल बैंकों/भारतीय रिज़र्व बैंक को खाते में रखी /उपयोग की गई /ऋणग्रस्त रहित प्रतिभूतियों का एक विवरण देगी ।
एसएलआर के परिकलन की पद्धति अनुबंध 3 में विस्तार से बताई गई है।

5.3 सांविधिक आरक्षित नकदी निधि बनाए रखने का तरीका

नकदी आस्तियों को निम्नलिखित में बनाए रखा जा सकता है -

(i) नकदी में, या

(ii) स्वर्ण में जिसका मूल्य वर्तमान बाजार मूल्य से अधिक न हो, या

(iii) भाररहित अनुमोदित प्रतिभूतियों में, जिनका मूल्यन ऐसी एक या अधिक या मूल्यन प्रणालियों के संयोजन, नामत: लागत मूल्य, बाजार मूल्य, बही मूल्य या अंकित मूल्य जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए, के अनुसार तय किया गया हो।

(03 मार्च 2006 के परिपत्र सं.आईडीएमडी.3426/11.01.01/(डी)225-06 के अनुसार सभी एनडीएस-ओएम सदस्यों को एनडीएस-ओएम प्लेटफार्म पर "जब जारी लेनदेन" करने की अनुमति दी गई थी।"जब जारी" बाजार से खरीदी गई प्रतिभूतियाँ केवल सुपुर्दगी होने पर एसएलआर प्रयोजन के लिए पात्र होंगी।)

निम्नलिखित को "भारत में नकदी का बनाए रखना" माना जाएगा:

(i) किसी शहरी सहकारी बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सीआरआर अपेक्षाओं से ऊपर बनाए रखा गया आधिक्य शेष।

(ii) किसी सहकारी बैंक द्वारा भारत में अपने पास या संबंधित राज्य के सहकारी बैंक के पास या निवल शेष के रूप में चालू खाते में या निवल शेष के रूप में चालू खाते में बनाए रखी गई नकदी या संबंधित जिले के मध्यवर्ती सहकारी बैंक के पास, धारा 18 के अंतर्गत चालू खाते में निवल शेष की बनाए रखी जाने वाली नकदी या शेषराशि से अधिक बनाए रखा गया कोई शेष।

(iii) चालू खाते में कोई निवल शेष।

(iv) 29 जनवरी 2009 से आईडीबीआई बैंक के चालू खाते में रखा गया कोई निवल शेष(29 जनवरी 2009 के परिपत्र शबैंवि.(पीसीबी) सं. 41/12.05.001/2008-09 के साथ पठित 15 दिसंबर 2008 का ज्ञापन। प्राथमिक सहकारी बैंकों को अगले आदेश तक अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत आईडीबीआई बैंक लि. के पास रखी गयी जमाराशि की सीमा तक सीआरआर बनाए रखने की बाध्यता से छूट दी गयी है।

टिप्पणी: संबंधित राज्य/ जिले के राज्य / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के पास भाररहित जमाराशियां।

(क) जहां किसी जिले में एक से अधिक मध्यवर्ती सहकारी बैंक हैं, वहां संबंधित मध्यवर्ती सहकारी बैंक की उप-विधि के प्रावधानों के अनुसार जिले में प्रत्येक बैंक का परिचालन क्षेत्र भिन्न और अलग-अलग होता है। जिले के संबंधित मध्यवर्ती सहकारी बैंक के क्षेत्र में काम करने वाले प्राथमिक सहकारी बैंक सामान्यत: उस मध्यवर्ती सहकारी बैंक से संबद्ध रहते हैं। अत: जिले का संबंधित मध्यवर्ती सहकारी बैंक, जिसके क्षेत्र में प्राथमिक सहकारी बैंक का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 18 और 24 के प्रयोजन के लिए संबंधित जिले का मध्यवर्ती सहकारी बैंक होगा।

(ख) जहां कोई प्राथमिक सहकारी बैंक इस प्रकार के क्षेत्र से परे जहां जिले में दूसरा मध्यवर्ती सहकारी बैंक कार्यरत है, अपनी शाखाएं खोलकर कार्य करते है तो वह दूसरे मध्यवर्ती सहकारी बैंक के पास अपने अनुशेषों को नकदी रिजर्व या तरल आस्तियां मान सकता है।

(कानूनी तौर से कहा जाए तो, नकदी आस्तियां बनाए रखने के लिए बैंक स्वर्ण में (स्वर्ण आभूषणों सहित) निवेश कर सकते हैं। तथापि, ऐसे निवेश, मूल्यवृद्धि को छोड़कर जो सट्टेबाज शक्तियों के अधीन होती हैं, अनुत्पादक होते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए और मूल्यन, सुरक्षित रूप से रखने आदि की परेशानियों को देखते हुए बैंकों को एसएलआर बनाए रखने के प्रयोजन के लिए स्वर्ण में निवेश नहीं करना चाहिए।)

5.4 अनुमोदित प्रतिभूतियों के संबंध में स्पष्टीकरण / अपेक्षाएं

(i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 5(क) के अनुसार अधिनियम की धारा 24 के प्रयोजन के लिए अनुमोदित प्रतिभूतियां वे प्रतिभूतियां हैं जिनमें कोई ट्रस्टी भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 की धारा 20 के खंड (क), (ख), (खख), (ग) या (घ) के अंतर्गत अपना धन निवेश कर सकता है, और;

(ii) भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 की धारा 20 के खंड (च) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रतिभूतियां।
(टिप्पणी: भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 की धारा 20 के अंतर्गत सभी प्रतिभूतियों को उक्त अधिनियम की धारा 24 के प्रयोजन के लिए अनुमोदित प्रतिभूतियां नहीं माना जा सकता। अनुमोदित प्रतिभूतियां वे ऐसी ट्रस्टी प्रतिभूतियां होनी चाहिएं जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 24 के प्रयोजन के लिए पात्र प्रतिभूतियां निर्दिष्ट किया गया हो । धारा 24 के प्रयोजन के लिए किसी प्रतिभूति के वर्गीकरण के बारे में संदेह होने पर बैंक रिज़र्व बैंक से स्पष्टीकरण प्राप्त करें।
)

(iii) सावधि जमा में निवेश की गई अपनी रिज़र्व निधियों को या अनुमोदित प्रतिभूतियों में किए गए निवेश को बैंक एसएलआर आस्तियों के रूप में हिसाब में ले सकते हैं, बशर्ते वे भाररहित हों।

(iv) भार रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों में अग्रिम के लिए या किसी अन्य ऋण व्यवस्था के लिए दूसरी संस्था में रखी गई प्रतिभूतियां उस हद तक शामिल हैं जिस हद तक उनकी जमानत पर कोई अग्रिम या ऋण न लिया गया हो।

5.5 सरकारी प्रतिभूतियों में न्यूनतम एसएलआर धारित करना

(i) 19 अप्रैल 2001 के परिपत्र शबैंवि सं. बीआर.परि. 42/16.26.00/2000-01 के अनुसार यह निर्णय लिया गया था कि प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए निम्नानुसार सरकारी और अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करना आवश्यक है:

क्र.	**बैंकों की श्रेणी**	**निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के प्रतिशत के रूप में सरकारी और अन्य प्रतिभूतियों में न्यूनतम एसएलआर धारिता**
1.	**अनुसूचित बैंक**	25 प्रतिशत
2.	**ग़ैर-अनुसूचित बैंक** (क) जिनका एनडीटीएल रु.25 करोड़ और अधिक है	15 प्रतिशत
	(ख)जिनका एनडीटीएल रु.25 करोड़ से कम है	10 प्रतिशत

(ii) 26 नवंबर 2008 के परिपत्र शबैंवि(पीसीबी).केंका. बीपीडी सं. 28 /16.26.00 /2008-09 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) की प्रतिशतता के रूप में सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में एसएलआर धारिता के अनुपात में निम्नानुसार वृद्धि की जाए।

(क) टियर - I के अंतर्गत वर्गीकृत गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को 30 सितंबर 2009 तक अपनी निवल मांग और देयताओं (एनडीटीएल) के कम से कम 7.5 प्रतिशत तथा 31 मार्च 2010 तक 15 प्रतिशत के बराबर एसएलआर सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना होगा।

(ख) टियर - II के अंतर्गत वर्गीकृत गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के मामले में अपनी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के कम से कम 15 प्रतिशत के बराबर एसएलआर सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखने का मौजूदा निर्धारण 31 मार्च 2010 तक जारी रहेगा।

(ग) 31 मार्च 20011 से सभी गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अपनी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 25 प्रतिशत के बराबर एसएलआर सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना अनिवार्य होगा।

(iii) 7 मार्च 2008 के परिपत्र के माध्यम से टियर - I बैंकों की परिभाषा निम्नानुसार संशोधित की गयी है:
टियर - I प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक याने:

(क) यूनिट बैंक अर्थात एक शाखा / प्रधान कार्यालय वाले बैंक तथा रु.100 करोड़ से कम जमाराशि वाले बैंक जिनकी शाखाएं एक ही जिले मे स्थित हैं ।

(ख) रु.100 करोड. से कम जमाराशि वाले बैंक जिनकी शाखाएं एक से अधिक जिलों मे स्थित हों बशर्ते शाखाएं सटे हुए जिलों में हों और प्रत्येक जिले में शाखाओं की जमाराशि **और** अग्रिम बैंक की क्रमशः कुल जमाराशि और अग्रिम का कम से कम 95% हों ।

(ग) रु.100 करोड़ से कम जमाराशि वाले बैंक जिनकी शाखाएं मूल रूप में एक ही जिले में थीं परंतु जिले के पुनर्गठन के कारण बाद में वे बहु-जनपदीय बन गए ।

(iv) धारा 24क के अंतर्गत छूट - 31 मार्च 2008 तक - सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने में शहरी सहकारी बैंकों को होने वाली कठिनाइयों पर विचार करते हुए यह निर्णय किया गया है कि शहरी सहकारी बैंकों की एक श्रेणी को अपेक्षाओं से सीमित छूट दी जा सकती है। तदनुसार, 26 दिसंबर 2005 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से 17 फरवरी 2006 के शबैंवि (पीसीबी) परि.एमओ.31/16.26.00/2005-06 के द्वारा टयर I ग़ैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को उनके द्वारा भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके सहायक बैंकों तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लि. (नाम परिवर्तन के बाद आईडीबीआई बैंक लि.) सहित सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों में अपेक्षित राशि रखने पर अपनी मांग एवं मीयादी देयताओं के 15% तक निर्धारित आस्तियों में सांविधिक नकदी अनुपात बनाए रखने से छूट दी गयी थी । शहरी सहकारी बैंकों की उपर्युक्त श्रेणियों के संबंध में उक्त छूट 17 फरवरी 2006 से 31 मार्च 2008 तक उपलब्ध थी । इसके अलावा 26 नवंबर 2008 की अधिसूचना के साथ पठित 21 जनवरी 2009 के परिपत्र सं. 37/16.26.000/ 2008-09 के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यह छूट जारी रखी जाए बशर्ते 01 अक्तूबर 2009 से यह छूट निवल मांग एवं मीयादी देयताओं के 7.5 प्रतिशत से अधिक न हो । उक्त छूट 01 अप्रैल 2010 से वापस ले ली जाएगी ।

(v) सभी शहरी सहकारी बैंकों को केवल रिज़र्व बैंक याअनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, प्राथमिक डीलरों, राज्य सहकारी बैंकों और स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. के एसजीएल खाते में या नैशनल सेक्युरिटीज़ डिपोजीटरीज़ लि.(एनएसडीएल), सेंट्रल डिपोजीटरी सर्विसेस लि., (सीडीएसएल) और नैशनल सेक्युरिटीज क्लियरिंग कार्पोरेशन लि.(एनएससीसीएल) के पास डिमेटेरियलाइज़्ड खातों में सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश बनाए रखना आवश्यक है ।

5.6 एसएलआर के लिए प्रतिभूतियों का वर्गीकरण और मूल्यन

(i) एसएलआर के लिए प्रतिभूतियों का वर्गीकरण और मूल्यन समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार किया जाएगा। कृपया एसएलआर के लिए प्रतिभूतियों का वर्गीकरण और मूल्यन से संबंधित विस्तृत अनुदेश के लिए 01 जुलाई 2008 का मास्टर परिपत्र शबैंवि.बीपीडी (पीसीबी).एमसी.सं.12/16.20.000/2008-09 देखें।

(ii) आँकड़ों की सूचना देने के लिए प्रारूप अनुबंध 6 में दिया गया है। फॉर्म I में विवरणी भेजने के लिए उक्त प्रारूप में सूचना को अनुबंध के रूप में 2003 से इस विभाग के केवल संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को ही भेजें। संबंधित महीनों में मासिक विवरणी के अंतर्गत उत्तरवर्ती पखवाड़ों की सूचनाएं निहित होनी चाहिए।

5.7 **एसएलआर के लिए निवल मांग और मीयादी देयताओं का अभिकलन**

(i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 18(1) के स्पष्टीकरण के खंड (घ) के अंतर्गत अभिकलित "बैंकिंग प्रणाली" की निवल देयताओं को एसएलआर बनाए रखने से छूट दी गई है।

(ii) एसएलआर के प्रयोजन के लिए आंतर बैंक देयताओं के परिकलन के लिए अपनाई जानेवाली क्रियाविधि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 18(1) के स्पष्टीकरण के खंड (घ) के मुताबिक होनी चाहिए। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के अंतर्गत एसएलआर और न्यूनतम 25% एसएलआर के प्रयोजन के लिए निवल मांग और मीयादी देयताओं के परिकलन की क्रियाविधि सीआरआर के प्रयोजन के लिए अपनाई जानेवाली क्रियाविधि के समान होनी चाहिए जिसका विवरण *अनुबंध 3* में दिया गया है।

(iii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 18 (1) के स्पष्टीकरण के खंड (घ) के अनुसार निवल आंतर बैंक देयताओं की राशि का परिकलन बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताओं में से बैंकिंग प्रणाली में आस्तियां को घटाने के बाद किया जाना चाहिए। यदि वह आंकड़ा धनात्मक (पाजि़टिव) है तो निवल मांग और मीयादी देयता का पता लगाने के लिए उसे "अन्यों के प्रति देयताएं" में जोड़ा जाना चाहिए। यह वह आंकड़ा ऋणात्मक (निगेटिव) आता हो तो निवल आंतर बैंक देयताओं को शून्य समझना चाहिए और "अन्यों के प्रति देयताएं" को निवल मांग और मीयादी देयताएं समझना चाहिए। विधि के अंतर्गत निर्धारित एसएलआर के अधीन

देयताओं के परिकलन के प्रयोजन के लिए यदि निवल आंतरबैंक देयताएं सकारात्मक हो तो उसे कुल निवल मांग और मीयादी देयताओं से घटा देना चाहिए। तथापि, कुल-निवल मांग और मीयादी देयताओं के 25% न्यूनतम एसएलआर के परिकलन के प्रयोजन के लिए निवल आंतर बैंक देयताओं को भी शामिल कर लेना चाहिए।

(iv) एसएलआर के लिए निवल मांग और मीयादी देयताओं का अभिकलन, बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताओं, बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियों तथा निवल मांग और मीयादी देयताओं आदि का विस्तृत विवरण अनुबंध 3 में दिया गया है।

(v) यदि किसी प्राथमिक सहकारी बैंक ने उस जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक से ऋण लिया हो जिसमें उसने एसएलआर की गणना के प्रयोजन से अपनी जमाराशि रखी हो तो जैसे चूक के मामले में उधार देने वाला बैंक जमाराशि पर अपने धारणाधिकार (lien) का प्रयोग करता है और वह जमाराशि नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध नहीं होती उसी प्रकार लिए गए ऋण की राशि बिना इस बात पर विचार किए जमाराशि में से घटा दी जानी चाहिए कि क्या उक्त जमाराशि पर धारणाधिकार निर्धारित किया गया है या नहीं।

5.8 **सूचना देने की आवश्यकता**

(i) सभी प्राथमिक सहकारी बैंकों (अनुसूचित और गैर-अनुसूचित) के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 24 के अंतर्गत माह के दौरान प्रत्येक एकांतर शुक्रवार को कारोबार की समाप्ति पर उक्त धारा के अंतर्गत बनाए रखी गई आस्तियों की स्थिति दर्शानेवाली एक विवरणी फॉर्म I (अनुबंध 4 में विस्तृत विवरण दिया गया है) प्रत्येक माह में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

[**नोट**: गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के संबंध में नकदी रिज़र्व और सांविधिक एवं तरल आस्तियों दोनों की सूचना देने के लिए फार्म 1 की विवरणी ही प्रयोग में लाई जाएगी।]

(ii) सभी प्राथमिक सहकारी बैंकों (अनुसूचित और गैर-अनुसूचित) के लिए निम्नलिखित की स्थिति दर्शानेवाले फार्म I की विवरणी के साथ *अनुबंध 7* में दिए गए प्रारूप के अनुसार परिशिष्ट II प्रस्तुत करना आवश्यक है:

(क) आधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत बनाए रखी जानेवाली सांविधिक तरल आस्तियां,

(ख) वास्तविक रूप में बनाए रखी गई तरल आस्तियां, और

(ग) माह के प्रत्येक दिन के लिए कमी/अधिशेष की मात्रा।

5.9 **दंडात्मक उपबंध**

(i) बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, की धारा 24(4)(a) के अनुसार यदि किसी भी एकांतर शुक्रवार को या ऐसा शुक्रवार यदि सार्वजनिक छुट्टी हो तो पूर्व कार्य दिवस को किसी बैंक द्वारा बनाए रखी गई राशि न्यूनतम निर्धारित राशि से या खंड 24(2A)(a) के अंतर्गत निर्धारित राशि से कम हो तो बैंक उस दिन की चूक के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक को उस दिन के लिए बैंक दर से न्यूनतम निर्धारित राशि से वास्तव में बनाए रखी गई राशि जितनी कम रही हो उस पर बैंक दर से 3 प्रतिशत अधिक दंडात्मक ब्याज अदा करने का भागी होगा।

(ii) इसके अलावा, धारा 24(4)(b) के अनुसार, यदि चूक अगले अनुवर्ती एकांतर शुक्रवार को भी हो जाती है या वह शुक्रवार यदि सार्वजनिक छुट्टी हो तो पूर्ववर्ती कार्य दिवस को हो जाती है और अनुवर्ती एकांतर शुक्रवारों या पूर्ववर्ती कार्य दिवस को, जैसा भी स्थिति हो, जारी रहती है तो उस एकांतर शुक्रवार के संबंध में और अनुवर्ती प्रयेक एकांतर शुक्रवार या ऐसे शुक्रवार को यदि सार्वजनिक छुट्टी हो तो पूर्ववर्ती कार्यदिवस को यदि चूक जारी रहती है तो ऐसी प्रत्येक कमी के लिए दंडात्मक ब्याज को बढ़ाकर बैंक दर से ऊपर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष कर दिया जाएगा।

(iii) धारा 24 (4) के उपबंधो को प्रभावित किए बिना, या धारा 24 (2A) के खंड (a) के अंतर्गत बनाए रखे जानेवाली राशि को बनाए न रख पाने पर भारतीय रिज़र्व बैंक धारा 24(5)(a) के अंतर्गत ऐसी चूक के संबंध में संबंधित बैंक से धारा 24 (4)(a) में दिए गए अनुसार उस दिन के लिए दंडात्मक ब्याज लेगा और यदि चूक अगले अनुवर्ती कार्य दिवस को बनी रहती है तो दंडात्मक ब्याज को संबंधित दिन के लिए धारा 24 (4)(b) में बताए गए अनुसार बढ़ा दिया जाएगा।

(iv) धारा 24 (6) (a) के उपबंधों के अनुसार उप-धारा (4) तथा (5) के अंतर्गत देय अर्थदण्ड का भुगतान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी नोटिस की तारीख़ से 30 दिन के भीतर बैंकों द्वारा किया जाए।

(v) बैंक अनिवार्य रूप से अपेक्षित एसएलआर बनाए रखना और परिशिष्ट II (अनुबंध 8) के साथ निर्धारित विवरणी निर्धारित समय में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समय पर विवरणी प्रस्तुत न करने पर उक्त अधिनियम की धारा 46(4) के उपबंधों लागू होंगें और बैंक उसमें बताए गए दंड लगाए जाने का भागी होगा।

(vi) जहां पता चले कि बैंक अनुदेशों और बार-बार सूचित किए जाने के बावजूद बार-बार चूक कर रहे हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक को ऐसे चूककर्ता बैंकों पर दंड लगाने के अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत लाइसेंसयुक्त बैंकों के मामले में लाइसेंस रद्द करने और गैर लाइसेंस बैंकों के मामले में लाइसेंस नकारने के लिए बाध्य हो सकता है। अत: बैंकों को अपने हित में निर्धारित दर पर सांविधिक चलनिधि अनुपात बनाए रखना और भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यालयों को तत्परता से फॉर्म I, फॉर्म IX, फॉर्म "ख" में विवरणियां प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना चाहिए।

5.10 **अन्य दंडात्मक उपबंध**

(i) निर्धारित दरों से सीआरआर और एसएलआर बनाए रखने के अलावा बैंकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को समय पर संबंधित सांविधिक विवरणियां प्रस्तुत करना आवश्यक है। इन सांविधिक आवश्यकताओं का उल्लंघन करने पर दंडात्मक ब्याज लगाने के अलावा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 56(4) के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(ii) जब भी कोई बैंक नकदी रिज़र्व/तरल आस्तियां बनाए रखने में विफल हो जाए तो उसे चाहिए कि वह विवरणी प्रेषित करने के अग्रेषण पत्र में इस प्रकार की चूक के कारणों का स्पष्टीकरण दे।

मास्टर परिपत्र

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)

सीआरआर के लिए मांग और मीयदी देयताओं का अभिकलन

[अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों पर लागू]

[देखें पैरा 3.7(ii)]

1. **विभिन्न शब्दों की परिभाषा**

(बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 18(1) का स्पष्टीकरण देखें)

(i) **"औसत दैनिक शेष"**

(क) इसका अर्थ किसी पखवाड़े के प्रत्येक दिन कारोबार की समाप्ति पर धारित शेषों का औसत है ।

(ii) **"पखवाड़ा"**

(क) इसका अर्थ शनिवार से दूसरे अनुवर्ती शुक्रवार तक, दोनों दिनों को मिलाकर, की अवधि है।

2. **बैंकिंग प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हैं,**

(i) भारतीय स्टेट बैंक

(ii) भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंक

(iii) राष्ट्रीयकृत बैंक

(iv) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

(v) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में यथापरिभाषित बैंकिंग कंपनियां । इनमें -

- निजी क्षेत्र के बैंक
- विदेशी बैंक शामिल हैं

नोट : वे विदेशी बैंक जिनकी भारत में कोई शाखा नहीं है, 'बैंकिंग प्रणाली' का हिस्सा नहीं हैं ।

(vi) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के खंड (सीसीआई) में यथापरिभषित सहकारी बैंक

नोट : सहकारी भूमिबंधक / विकास बैंक 'बैंकिंग प्रणाली' का हिस्सा नहीं हैं ।

(vii) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए 'अधिसूचित' अन्य कोई वित्तीय संस्था

(viii) "बैंकिंग प्रणाली" में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं

* एक्ज़िम बैंक   * आईएफसीआई

* नाबार्ड   * आईआईबीआई

* सिडबी

2 **देयताओं में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं** :

(i) चुकता पूंजी

(ii) रिज़र्व

(iii) लाभ-हानि लेखा में जमाशेष

(iv) राज्य सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, आईडीबीआई, एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी, रिकंस्ट्रक्शन बैंक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, से लिये गए ऋण या संबंधित राज्य के राज्य सहकारी बैंक या संबंधित जिले के जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक से लिया गया कोई अग्रिम और अनुमोदित प्रतिभूतियों की जमानत पर आहरित या लिया गया कोई अग्रिम या ऋण व्यवस्था ।

5. निवल देयताएं

सीआरआर और एसएलआर के प्रयोजन के लिए देयताओं का अभिकलन करते समय **भारत में "बैंकिंग प्रणाली" में** अन्य बैंकों के प्रति बैंक की **निवल देयताओं को हिसाब में लिया जाएगा** अर्थात् भारत में "बैंकिंग प्रणाली में" अन्य बैंकों के पास स्थित अस्तियों को बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताओं में से घटा दिया जाएगा ।

6. "बैंकिंग प्रणाली के प्रति देय देयताओं में"

(i) बैंकों की जमाराशियां

(ii) बैंकों से उधार (मांग मुद्रा/सूचना जमाराशियां)

(iii) बैंकों के प्रति देयताओं की अन्य फुटकर मदें जैसे कि बैंकों को जारी सहभागिता प्रमाणपत्र, बैंक जमाराशियों पर उपचित ब्याज आदि शामिल होंगे।

7. बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताओं का वर्गीकरण :

(i) 'बैंकिंग प्रणाली' के प्रति बैंक की देयताओं को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता हैं जैसे, 'मांग देयताएं' और 'मीयादी देयताएं' ।

(ii) बैंकिंग प्रणाली के प्रति मांग देयताओं को आगे निम्नलिखित और दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

(क) निम्नलिखित द्वारा प्राथमिक सहकारी बैंकों के पास चालू खाते में रखे गए शेष:

- भारतीय स्टेट बैंक
- भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंक
- राष्ट्रीयकृत बैंक

(ख) अन्य मांग देयताएं जिनमें

(1) निम्नलिखित द्वारा प्राथमिक सहकारी बैंकों के पास चालू खाते में रखे गए शेष

- ➢ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- ➢ बैंकिंग कंपनियां जैसे निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक
- ➢ सहकारी बैंक
- ➢ अन्य "अधिसूचित" वित्तीय संस्थाएं

(2) ऊपर नामित बैंकों की अतिदेय मीयादी जमाराशियां

(3) बैंकों को जारी मांग पर देय सहभागिता प्रमाणपत्र — 'बैंकिंग प्रणाली' की परिभाषा के अंतर्गत

(4) बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)* की जमाराशियों पर उपचित ब्याज

(5) बैंकों से उधार ली गई मांग मुद्रा

(iii) "बैंकिंग प्रणाली " की मीयादी देयताओं में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(क) बैंकों से ली गई सभी प्रकार की मीयादी जमाराशियां

(ख) बैंकों से प्राप्त जमाराशि प्रमाणपत्र

(ग) बैंकों को जारी सहभागिता प्रमाणपत्र जो मांग पर देय नहीं हैं

(घ) बैंकों की मीयादी जमाराशियों / जमाराशि प्रमाणपत्रों पर उपचित ब्याज

(क)–(घ): 'बैंकिंग प्रणाली' की परिभाषा के अंतर्गत

* यदि इस राशि को वर्गीकृत करना / जमाराशि पर उपचित ब्याज से अलग करना संभव न हो तो उपचित सकल ब्याज को अन्य मांग और मीयादी देयताओं के अंतर्गत दिखाया जाए।

8. "बैंकिंग प्रणाली" के पास आस्तियां

(i) बैंकिंग प्रणाली में चालू खाते में शेष।

(ii) बैंकिंग प्रणाली में अन्य खातों में बैंकों और अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं के पास शेष।

(iii) बैंकिंग प्रणाली में 14 दिनों तक की मांग अल्प सूचना मुद्रा जो बैंकों और अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं को उधार दी गई।

(iv) मांग और अल्प सूचना मुद्रा के अलावा ऋण जो "बैंकिंग प्रणाली" को उपलब्ध कराए गए।

(v) बैंकिंग प्रणाली से देय कोई भी अन्य राशि जैसे कि बैंक द्वारा आंतर बैंक प्रेषण सुविधा आदि के अंतर्गत अन्य बैंकों के पास (मार्गस्थ या अन्य खातों में) रखी राशि।

9. (i) बैंकों द्वारा मीयादी मुद्रा बाजार में निम्नलिखित वित्तीय संस्थाओं को दिये गये उधार को "बैंकिंग प्रणाली" के पास आस्तियों के रूप में नहीं गिना जा सकता। इसलिए, इन उधारों को 'बैंकिंग प्रणाली' के प्रति देयताओं के साथ समायोजित नहीं किया जाना चाहिए।

* एक्जिम बैंक
* आईएफसीआई
* नाबार्ड
* आईआईबीआई
* सिडबी

(ii) इन वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त पुनर्वित्त के अलावा बैंक का उधार अन्य संस्थाओं को देय देयताओं का हिस्सा होगा और इसलिए रिज़र्व के प्रयोजन के लिए वह निवल मांग और मीयादी देयताओं का हिस्सा होगा।

10. देयताओं के अंतर्गत कतिपय मदों का वर्गीकरण :

(i) ***अंतर-शाखा खाते***

(क) अंतर-शाखा खाते में निवल शेष, जब जमा में हो तो, उसे 'अन्य देयताएं और प्रावधान' के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए जो सीआरआर और एसएलआर के प्रयोजन के लिए कुल मांग और मीयादी देयताओं में शामिल किया जाता है ।

(ख) **27 जुलाई 1998** के बाद बैंकों को अंतर शाखा खाते में 5 वर्षों से अधिक अवधि से बकाया पड़ी प्रविष्टियों को 'अवरुद्ध खाता' (ब्लॉक्ड अकाउंट) के रूप में अलग करना चाहिए और उसे अन्य देयताएं और प्रावधान के अंतर्गत अन्य में दर्शाया जाना चाहिए। इसके बाद, 'अन्य देयताएं और प्रावधान' के अंतर्गत शामिल करने के लिए अंतर शाखा लेनदेनों का पता लगाते समय यदि वह जमा में हो या 'अन्य आस्तियां' यदि नामे में हो तो अवरूद्ध खाते की सकल राशि को शामिल नहीं करना चाहिए और केवल बकाया जमा प्रविष्टियों की राशि को नामे प्रविष्टियों के साथ समायोजित किया जाना चाहिए। इस प्रकार, 'अवरूद्ध खाते' के शेष का सीआरआर और एसएलआर बनाए रखने के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाएगा भले ही निवल अंतर शाखा प्रविष्टियां नामे शेष हों ।

(ii) ***भुनाए गए / खरीदे गए बिलों पर मार्जिन राशि***

बैंक को खरीदे/भुनाए गए बिलों पर मार्जिन राशि को बाहरी देयताएं समझे जाने के लिए एक समान क्रियाविधि अपनानी चाहिए और रिज़र्व बनाए रखने की अपेक्षाओं के प्रयोजन के लिए उसे अन्य मांग और मीयादी देयताओं में शामिल करना चाहिए

(iii) ***जमाराशियों पर उपचित ब्याज***

(क) सभी जमाखातों (जैसे कि बचत, सावधि, आवर्ती, नकदी प्रमाणपत्र, पुनर्निवेश, योजनाएं आदि) पर उन्हें, चाहे जिस किसी नाम से पुकार जाए, उपचित ब्याज को बैंक द्वारा सीआरआर/एसएलआर बनाए रखने के प्रयोजन के लिए अपनी देयताएं समझना चाहिए, भले ही जमाराशियों की चुकौती की देय तारीख तक उपचित ब्याज वास्तव में देय हुई हो या नहीं हुई हो ।

(ख) जमाराशियों पर उपचित ब्याज को फार्म I और VIII में ‘अन्य मांग और मीयादी देयताएं’ के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए ।

11. सीआरआर और एसएलआर के लिए बाहरी देयताएं न समझी जानेवाली राशि

(i) संबंधित अग्रिमों के साथ समायोजन होने तक आह्वानित गारंटियों के संबंध में डीआईसीजीसी से प्राप्त दावों की राशि।

(ii) कोर्ट रिसीवर से प्राप्त राशि।

(iii) न्यायालय का निर्णय होने तक दावों के तदर्थ निपटान के लिए बीमा कंपनी से प्राप्त राशि।

(iv) संबंधित अग्रिमों का घटाई दर पर निपटान होने तक आह्वानित गारंटियों पर ईसीजीसी से प्राप्त राशि।

****

अनुबंध 2

मास्टर परिपत्र

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)

तथा

सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)

फार्म 'ख'

[किसी अनुसूचित बैंक द्वारा प्रस्तुत किए जाने हेतु जो एक राज्य सहकारी बैंक हो] #

[पैरा 3.14 देखें]

शुक्रवार को कारोबार की समाप्ति के समय की स्थिति के अनुसार विवरण @ ____

(निकटतम हजार रुपये तक पूर्णांकित रूप से)

बैंक का नाम :

I. भारत में बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं *

(क) बैंकों से मांग एवं मीयादी देयताएं *

(i) मांग

(ii) मीयादी

(ख) बैंकों से उधार *

(ग) अन्य मांग एवं मीयादी देयताएं @@

I का योग

II. भारत में अन्य के प्रति देयताएं

(क) कुल जमाराशियां (बैंकों की जमाराशियों* तथा राज्य सहकारी बैंक के परिचालन क्षेत्र के भीतर किसी सहकारी सोसायटी द्वारा चलाई जा रही प्रारक्षित निधि या उसके किसी हिस्से को दर्शाने वाले धन की किसी जमाराशि के भी अतिरिक्त)

(i) मांग

(ii) मीयादी

(ख) उधार (भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, राज्य सरकार तथा राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, संबंधित राज्य के राज्य सहकारी बैंक या संबंधित जिले के मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अतिरिक्त)

(ग) अन्य मांग एवं मीयादी देयताएं

II का योग

I+II का योग

III. भारत में बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां *

(क) बैंकों के पास बकाया *

(i) चालू खाता में

(ii) अन्य खातों में

(ख) मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा

(ग) बैंकों को अग्रिम * अर्थात् बैंकों से देय *

(घ) अन्य आस्तियां

III का योग

IV. भारत में नकदी (अर्थात हाथ में नकदी)

V. भारत में निवेश (बही मूल्य पर)

(क) खजाना बिलों, खजाना जमा प्राप्तियों, खजाना जमा प्रमाणपत्रों तथा डाक खर्च सहित केंद्र तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियां

(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

V का योग

VI. भारत में बैंक ऋण (अंतर-बैंक अग्रिमों को छोड़कर)

(क) ऋण, नकदी ऋण तथा ओवरड्राफ्ट

(ख) खरीदे एवं भुनाए गए अंतर्देशीय बिल

(i) खरीदे गए बिल

(ii) भुनाए गए बिल

(ग) खरीदे एवे भुनाए गए विदेशी बिल

(i) खरीदे गए बिल

(ii) भुनाए गए बिल

VI का योग

III + IV + V + VI का योग

क.	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1034 की धारा 42 के प्रयोजन के लिए निवल देयताएं = बैंकिंग प्रणाली के प्रति निवल देयता + भारत में अन्य के प्रति देयता	(I-III) + II, यदि (I-III) एक **धनात्मक** अंक हो अथवा केवल II, यदि (I-III) एक **ऋणात्मक** अंक हो
ख.	उक्त अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक में अनिवार्य रूप में रखी जाने वाली न्यूनतक जमाराशि (निकटतम हजार तक पूर्णांकित)	= रू.
ग.	बचत बैंक खाता (विनियमन 7 के अनुसार)	

भारत में माँग देयताएं

भारत में मीयादी देयताएं

अधिकारियों के हस्ताक्षर

केंद्र : 1. (पदनाम)

दिनांक : 2. (पदनाम)

1. **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की निम्नलिखित धारा के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक से भारत में उधार :**

(i) 17 (2) (क)

(ii) 17 (2) (ख) या (4) (ग)

(iii) 17 (2) (खख) या (4) (ग)

(iv) 17 (4) (ग)

(v) 17 (4) (क)

मद (1) का योग

2. निम्नलिखित से उधार

(i) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की निम्नलिखित धाराओं के अंतर्गत के अंतर्गत राष्ट्रीय बैंक:

(क) 21

(ख) 22

(ग) 23

(घ) 24

(ङ) 25

(ii) भारतीय स्टेट बैंक

(iii) अन्य बैंक

(iv) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

(v) राज्य सरकार

(vi) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम

(vii) भारतीय निर्यात-आयात बैंक

(viii) संबंधित राज्य का राज्य सहकारी बैंक

(ix) संबंधित जिले का जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

मद (2) का योग

3. भारतीय रिजर्व बैंक के पास बकाया

पाद-टिप्पणी:

अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए भी उसी प्रारूप में विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

@ जहां किसी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक के एक या उससे अधिक कार्यालयों के लिए परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के अंतर्गत शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश हो, वहां इस प्रकार के कार्यालय या कार्यालयों के संबंध में विवरणी पूर्ववर्ती कार्य दिवस के आँकड़े देगी लेकिन तब भी उसे उस शुक्रवार से संबंधित नहीं माना जाएगा।

* "बैंकिंग प्रणाली" या "बैंक" अभिव्यक्ति जहाँ कहीं विवरणी में आती है उसका मतलब भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) के नीचे दी गई व्याख्या के खंड (ङ) के विनियम (i) से (v) में उल्लिखित बैंक

तथा अन्य किसी वित्तीय संस्थाओं से होता है।

@@ यदि II (ग) से अलग I (ग) के लिए आँकडे प्राप्त करना संभव न हो तो वही आँकड़ा II (ग) के आँकड़े में शामिल किया जाए। इस प्रकार के मामले में बैंकिंग प्रणाली के प्रति निवल देयता III के सकल से अधिक I (क) तथा I (ख) के सकल, यदि कोई, से अधिक के रूप में निकाली जाएगी।

****

मास्टर परिपत्र

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)
तथा
सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)

सीआरआर तथा एसएलआर के लिए मीयादी एवं मांग देयताओं का अभिकलन

[सीआरआर प्रयोजनों के लिए गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों तथा
एसएलआर प्रयोजनों के लिए सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों पर लागू]
(पैरा 4.1 देखें)

1. **विभिन्न पदों की परिभाषा**
(बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 18 (1) की व्याख्या के अनुसार)

(i) ***''औसत दैनिक बकाया''***

(क) इसका तात्पर्य किसी पखवाड़े के प्रत्येक दिवस को कारोबार की समाप्ति पर धारित बकायों के औसत से होगा।

(ii) ***''पखवाड़ा''***

(क) इसका तात्पर्य शनिवार से बाद के दूसरे शुक्रवार तक की अवधि से होगा जिसमें ये दोनों दिन भी शामिल होंगे।

2. **'बैंकिंग प्रणाली' में निहित हैं -**

(i) भारतीय स्टेट बैंक
(ii) भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंक
(iii) राष्ट्रीयकृत बैंक
(iv) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
(v) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में दी गई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित बैंकिंग कंपनियां इनमें शामिल होंगी -

- निजी क्षेत्र के बैंक
- विदेशी बैंक

टिप्पणी : जिन विदेशी बैंकों की भारत में कोई शाखा नहीं है वे 'बैंकिंग प्रणाली' के भाग नहीं हैं ।

(vi) केंद्र सरकार द्वारा इस रूप में 'अधिसूचित' अन्य कोई वित्तीय संस्थान।

3. **'बैंकिंग प्रणाली'** में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं -

- एक्जिम बैंक
- नाबार्ड
- सिडबी
- आईएफसीआई
- आईआईबीआई

4. **देयताओं में शामिल नहीं हैं** -

(i) चुकता पूँजी
(ii) आरक्षित निधियाँ
(iii) लाभ-हानि खाते में बकाया शेष
(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक, एक्जिम बैंक, नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी, आईआईबीआई से ऋण

5. **निवल देयताएं**

सीआरआर तथा एस एल आर के प्रयोजन के लिए देयताओं का अभिकलन करते समय बैंक की भारत में अन्य बैंकों के प्रति **निवल देयताओं** को '**बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत हिसाब में लिया जाएगा**' अर्थात् 'बैंकिंग प्रणाली' के अंतर्गत भारत में अन्य बैंकों में आस्तियों को 'बैंकिंग प्रणाली' के प्रति कुल देयताओं से घटा दिया जाएगा।

6. **'बैंकिंग प्रणाली' के प्रति देयताओं में शामिल होंगे -**

(i) बैंकों की जमा राशियाँ
(ii) बैंकों से लिए गए उधार (मांग मुद्रा/नोटिस जमा)
(iii) बैंकों को जारी किए गए सहभागिता प्रमाण पत्र, बैंक जमा राशियों पर उपचित ब्याज आदि जैसी बैंकों के प्रति देयताओं की अन्य विविध मदें।

7. **'बैंकिंग प्रणाली' के प्रति देयताओं का वर्गीकरण**

(i) 'बैंकिंग प्रणाली' के प्रति बैंक की देयताओं को 'माँग देयताओं' तथा 'मीयादी देयताओं' नामक दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

(ii) 'बैंकिंग प्रणाली' के प्रति 'मांग देयताओं' को आगे निम्नवत् वर्गीकृत किया गया है:

(क) निम्नलिखित के चालू खातों में बकाया -
- भारतीय स्टेट बैंक
- भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंक
- राष्ट्रीयकृत बैंक

(ख) अन्य मांग देयताओं में शामिल हैं -

1) निम्नलिखित के चालू खातों में बकाया -
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- बैंकिंग कंपनियां अर्थात् निजी क्षेत्र के बैंक तथा विदेशी बैंक
- अन्य 'अधिसूचित' वित्तीय संस्थान

2) उपर्युक्त बैंकों की अतिदेय मीयादी जमाराशियों का बकाया
3) बैंकों को जारी तथा मांग पर देय प्रतिभागिता प्रमाण पत्र
4) बैंकों (आरआरबी) की जमा राशियों पर उपचित ब्याज
5) बैंकों से लिया गया मांग मुद्रा उधार

('बैंकिंग प्रणाली' की परिभाषा के अंतर्गत)

(iii) 'बैंकिंग प्रणाली' के प्रति मीयादी देयताओं में शामिल हैं -

(क) बैंकों की सभी प्रकार की मीयादी जमा राशियाँ
(ख) बैंकों के जमा प्रमाण पत्र

('बैंकिंग प्रणाली' की परिभाषा के अंतर्गत)

(ग) बैंकों को जारी सहभागिता प्रमाण पत्र जो मांग पर देय नहीं हैं

(घ) बैंकों की मीयादी जमा/जमा प्रमाण पत्रों पर उपचित ब्याज* —

* यदि जमाराशियों पर उपचित ब्याज से इस राशि को वर्गीकृत/अलग करना संभव न हो तो सकल उपचित ब्याज को फार्म I तथा VIII में 'अन्य मांग एवं मीयादी देयताओं' के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाए।

8. **बैंकिंग प्रणाली के साथ आस्तियां**

(i) चालू खातों में '**बैंकिंग प्रणाली**' **के पास** बकाया -

(क) * भारतीय स्टेट बैंक
* भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंक
* राष्ट्रीयकृत बैंक

(ख) * क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
* बैंकिंग कंपनियां अर्थात् निजी क्षेत्र के बैंक तथा विदेशी बैंक
* अन्य अधिसूचित वित्तीय संस्थान

(ii) उपर्युक्त बैंकों तथा अधिसूचित वित्तीय संस्थानों के अन्य खातों में बकाया।

(iii) उपर्युक्त बैंकों तथा अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं को उधार दी गई 14 दिनों तक की मांग एवं अल्प सूचना मुद्रा।

(iv) 'बैंकिंग प्रणाली' को उपलब्ध कराई गई मांग एवं अल्प सूचना मुद्रा के अलावा ऋण।

(v) 'बैंकिंग प्रणाली' से प्राप्य अंतर-बैंक विप्रेषण सुविधा आदि के अंतर्गत बैंक द्वारा अन्य बैंकों (परेषण या अन्य खातों में) में धारित राशि जैसी अन्य कोई राशियां।

9. (i) बैंक द्वारा मीयादी मुद्रा बाजार में निम्नलिखित वित्तीय संस्थानों को दिए गए उधार को 'बैंकिंग प्रणाली' के साथ आस्ति के रूप में परिगणित नहीं किया जा सकता। अत: इन उधारों को 'बैंकिंग प्रणाली' के प्रति दायित्वों के साथ नेट नहीं किया जा सकता।

*एक्जिम बैंक *आईएफसीआई *नाबार्ड
*आईआईबीआई *सिडबी

(ii) इन वित्तीय संस्थाओं से पुनर्वित्त के अतिरिक्त बैंक का उधार अन्य के प्रति देयताओं का एक भाग होना चाहिए और इसलिए विपरीत आवश्यकताओं के प्रयोजन के लिए निवल मांग एवं मीयादी देयताओं का एक हिस्सा होता है ।

10. प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों को हासिल करने में हुई कमियों को पूरा करने के लिए सिडबी/नाबार्ड के पास रखी गई जमा राशियों को बैंकिंग प्रणाली के साथ आस्तियों के रूप में नहीं प्रदर्शित किया जा सकता और इस प्रकार की जमा राशियों को सीआरआर तथा एसएलआर संबंधी जरूरतों के प्रयोजन के लिए निवल डीटीएल तक पहुँचने के लिए इस प्रकार की जमा राशियों को नेट नहीं किया जा सकता। सिडबी/नाबार्ड के पास रखी गई राशि को फॉर्म I तथा फॉर्म VIII में एक पाद टिप्पणी तथा एक व्याख्यात्मक नोट के द्वारा दर्शाया जाए।

11. **देयताओं के अंतर्गत कुछ मदों का वर्गीकरण**

(i) ***अंतर शाखा खाते***

(क) क्रेडिट के समय अंतर - शाखा खाते में निवल बकाया 'अन्य देयताएं तथा प्रावधान' के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाना है जो सीआरआर तथा एसएलआर प्रयोजन के लिए कुल मांग तथा मीयादी देयताओं में शामिल है।

(ख) 27 जुलाई 1998 के बाद बैंक को अंतर-शाखा खातों में पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया ऋण प्रविष्टियों को 'अवरुद्ध खाते' के रूप में अलग करना चाहिए तथा उसे 'अन्य देयताएं तथा प्रावधान' के अंतर्गत 'अन्य' के अंतर्गत प्रदर्शित करना चाहिए। यदि जमा में हो तो 'अन्य देयताएं तथा प्रावधान' के अंतर्गत या यदि नामे हो तो 'अन्य आस्तियों के अंतर्गत शामिल' करने के लिए अंतर-शाखा लेनदेनों की निवल राशि की गणना करते समय 'अवरुद्ध खाते' की समग्र राशि को निकाल देना चाहिए तथा केवल शेष ऋण प्रविष्टियों को प्रदर्शित करने वाली राशि को नामे प्रविष्टियों में समंजित करना चाहिए। इस प्रकार 'अवरुद्ध खाते' में शेष की गणना सीआरआर तथा एसएलआर बनाए रखने के प्रयोजन से की जाएगी हालांकि अंतर-शाखा प्रविष्टियों का समंजन एक नामे शेष है।

(ii) ***भुनाए गए/खरीदे गए बिलों पर मार्जिन राशि***

बैंक को खरीदे गए/भुनाए गए बिलों पर मार्जिन राशि को बाह्य देयताओं के रूप में मानने में एक समान प्रक्रिया का पालन करना चाहिए तथा प्रारक्षित आवश्यकताएं बनाए रखने के प्रयोजन से इसे अन्य माँग एवं मीयादी देयताओं में शामिल करना चाहिए ।

(iii) ***जमाराशियों पर उपचित ब्याज***

(क) किसी भी नाम से सभी जमा खातों (जैसे बचत, सावधि, आवर्ती, नकदी प्रमाण पत्र, पुनर्निवेश योजनाएं आदि) को सीआरआर तथा एसएलआर बनाए रखने के प्रयोजन से बैंक को इस पर बिना विचार किए कि उपचित ब्याज वास्तव में देय हो गया है या जमा राशियों के पुनर्भुगतान के लिए देय तिथियों तक देय नहीं है, अपनी देयता के रूप में मानना चाहिए।

(ख) जमा राशियों पर उपचित ब्याज को फॉर्म I तथा VIII में 'अन्य माँग तथा मीयादी देयताएं' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

12. सीआरआर तथा एसएलआर हेतु बाह्य देयताओं के रूप में नहीं मानी जाने वाली राशि

(i) आह्वानित गारंटियों, संबंधित अग्रिमों में उनके लंबित समायोजन के संबंध में ही डीआईसीजीसी से प्राप्त दावे की राशियाँ।

(ii) कोर्ट रिसीवर से प्राप्त राशियाँ।

(iii) न्यायालय के निर्णय के लिए लंबित दावों के तदर्थ निपटान पर बीमा कंपनी से प्राप्त राशियां।

(iv) संबंधित अग्रिमों के समंजन के लिए लंबित गारंटियों के आह्वान पर ईसीजीसी से प्राप्त राशियां।

****

मास्टर परिपत्र

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)
तथा
सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
फार्म - I

(नियम 5 देखें)
[धारा 18(1) तथा 24(3)]

[पैरा 4.2, 5.2 तथा 5.9 देखें]

सहकारी बैंक का नाम :

विवरणी प्रस्तुत करने वाले अधिकारी
(अधिकारियों) के नाम तथा पदनाम :

भारत में माँग एवं मीयादी देयताओं का विवरण तथा __________________ माह के लिए भारत में नकदी, स्वर्ण तथा आभारित प्रतिभूतियों के रूप में बनाई रखी गई राशि का विवरण।

विवरणी के अंत में पाद टिप्पणियों में दर्शाए गए समायोजन को, जहां आवश्यक हो हिसाब में लेकर इस विवरणी के अंतर्गत विभिन्न मदों की राशियों की गणना की जानी चाहिए ।

(निकटतम हजार रुपयों तक पूर्णांकित)

	को कारोबार की समाप्ति पर		
	पहला अनुवर्ती शुक्रवार (दिनांक)	दूसरा अनुवर्ती शुक्रवार(दिनांक)	तीसरा अनुवर्ती शुक्रवार(दिनांक)
भाग - अ I. बैंकिंग प्रणाली $ के प्रति भारत में देयताएं £ (क) मांग देयताएं (i) भारतीय स्टेट बैंक, सहायक बैंकों तथा संबंधित नए बैंकों द्वारा सहकारी बैंक में रखे गए चालू खातों में ऋण बकायों का योग (ii) बैंकिंग प्रणाली के प्रति अन्य मांग देयताओं का योग (ख) बैंकिंग प्रणाली के प्रति मीयादी देयताएं $			
I का योग II. भारत में अन्य के प्रति देयताएं X (क) मांग देयताएं			

(ख) मीयादी देयताएं II का योग III. भारत में बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां (क) भारतीय स्टेट बैंक, सहायक बैंकों तथा संबंधित नए बैंकों में रखे चालू खातों में ऋण बकायों का योग (%) (ख) बैंकिंग प्रणाली में (i) मद III (क) में शामिल खातों के अलावा सभी खातों में बकाया, (ii) माँग तथा अल्प सूचना पर मुद्रा, (iii) अग्रिमों तथा (iv) अन्य कोई आस्तियों जैसी अन्य आस्तियों का योग IV. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 18 तथा 24 के प्रयोजन से कुल (निवल) मांग एवं मीयादी देयताएं - (I - III) + II, यदि (I + III) आंकडा धनात्मक है अथवा केवल II यदि (I - III) आँकड़ा ऋणात्मक है, V. हाथ में नकदी (तथा) VI. निम्नलिखित के पास रखे चालू खातों में बकाया (क) भारतीय रिज़र्व बैंक ++ (ख) संबंधित राज्य का राज्य सहकारी बैंक (+) (ग) संबंधित जिले का मध्यवर्ती सहकारी बैंक (%) VI का योग VII. चालू खातों में निवल बकाया अर्थात् I(क)(i) से III (क) का आधिक्य			
भाग - ख : धारा 18 का अनुपालन (अनुसूचित सहकारी बैंकों पर लागू नहीं होता) VIII. दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार IV का 3 प्रतिशत IX. वास्तव में बनाया रखा गया नकदी रिज़र्व = V + VI + VIII **भाग ग** : धारा 24 का अनुपालन : (अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों पर लागू नहीं होता) X. दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार IV का 25 प्रतिशत (या कोई उच्चतर निर्धारित प्रतिशतता) XI. वास्तव में बनाई रखी गई आस्तियाँ (क) भारत में बनाए रखे गए नकदी तथा अन्य X		सूचना देने की आवश्यकता नही	

- IX + VII बकाया (ख) स्वर्ण £ £ (ग) अभारित अनुमोदित प्रतिभूतियाँ $$ XII का योग **भाग - घ** : धारा 24 का अनुपालन : (अनुसूचित / राज्य सहकारी बैंकों पर लागू) XII.दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार IV का 25 प्रतिशत (या कोई उच्चतर निर्धारित प्रतिशत) XIII.वास्तव में बनाई रखी गई आस्तियां (क) हाथ में नकदी (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से बनाए रखे जाने वाले बकाया के अतिरिक्त भारतीय रिज़र्व बैंक में रखा जाने वाला बकाया [अर्थात् VI (क)] (ग) चालू खातों में निवल बकया (अर्थात् VII) (घ) स्वर्ण £ £ (ङ) अभारित अनुमोदित प्रतिभूतियां $$	___		
(च) निम्नलिखित के पास अन्य सभी प्रकार के बकाया (i) संबंधित राज्य का राज्य सहकारी बैंक(+) (ii) संबंधित जिले का मध्यवर्ती सहकारी बैंक(x)			

दिनांक : हस्ताक्षर :

<u>पाद-टिप्पणियां</u>:

1. अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 24 तथा अन्य "सहकारी बैंकों द्वारा उपर्युक्त अधिनियम की धारा 18 तथा 24 के अंतर्गत जिन महीनों से वह संबंधित है उनकी समाप्ति के 15 दिनों के भीतर इस फॉर्म में विवरणी भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जानी है ।
2. यदि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के अंतर्गत उत्तरवर्ती शुक्रवार को छुट्टी हो तो पूर्ववर्ती कार्य दिवस की समाप्ति पर जो आँकडे हों उन्हें प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

3£ इस विवरणी के प्रयोजन के लिए "भारत में देयताएं" में शामिल नही होगा:

(i) चुकता पूँजी या प्रारक्षित निधियाँ या सहकारी बैंक के लाभ तथा हानि खाते में कोई जमा शेष;

(ii) किसी राज्य सहकारी बैंक या किसी मध्यवर्ती सहकारी बैंक के मामले में उसके परिचालन क्षेत्र के अंतर्गत अन्य किसी सहकारी सोसायटी द्वारा उसके पास रखी गई कोई जमाराशि जो उसकी किसी प्रारक्षित निधि अथवा उस निधि के किसी अंश को प्रदर्शित करती हो;

(iii) मध्यवर्ती सहकारी बैंक के मामले में संबंधित राज्य के राज्य सहकारी बैंक से लिया गया कोई अग्रिम;

(iv) संबंधित राज्य के राज्य सहकारी बैंक से किसी प्राथमिक सहकारी बैंक द्वारा लिया गया कोई अग्रिम;

(v) किसी सहकारी बैंक द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों पर आहरित या उसका लाभ - उठाए गए अग्रिम या अन्य ऋण व्यवस्था की राशि;

(vi) किसी सहकारी बैंक के मामले में जिसने अपने पास रखी गई किसी शेष राशि पर अग्रिम की मंजूरी दी है, जो इस प्रकार के अग्रिम के संबंध में बकाया राशि की सीमा तक हो ।

4$. इस विवरणी के प्रयोजन से पद "बैंकिंग प्रणाली" के अंतर्गत निम्नलिखित बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं शामिल होंगी, जैसे

(i) भारतीय स्टेट बैंक

(ii) सहायक बैंक

(iii) संगत नए बैंक

(iv) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

(v) बैंकिंग कंपनियां

(vi) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 18 के उप-खंड (1) के स्पष्टीकरण के अनुच्छेद (घ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य वित्तीय संस्थान, यदि कोई हो,

5X. इस विवरणी के प्रयोजन के लिए "अन्य के लिए भारत में देयताएं " में राज्य सरकार, रिज़र्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय निर्यात -आयात बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अथवा राष्ट्रीय सहकारी विकास अधिनियम, 1962 की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लिए गए उधार शामिल नहीं होंगे।

6% (i) सहकारी बैंक द्वारा अन्य किसी बैंक में रखा गया कोई शेष उस सीमा तक भारत में रखी गई नकदी माना जाएगा जिस सीमा तक इस प्रकार के शेष सहकारी बैंक की कृषि ऋण स्थायीकरण निधि का निवेश दर्शाता हो।

(ii) यदि किसी सहकारी बैंक ने संबंधित राज्य के राज्य सहकारी बैंक अथवा संबंधित जिले के मधवर्ती सहकारी बैंक के पास रखे गए किसी शेष पर कोई अग्रिम लिया है तो इस प्रकार के अग्रिम को उस सीमा तक भारत में रखी गई नकदी नहीं माना जाएगा जिस सीमा तक शेष का आहरण किया गया है या उनका लाभ उठाया गया हो ।

7& (i) इस विवरणी के प्रयोजन के लिए किसी सहकारी बैंक के पास रखी नकदी को भारत में रखी गयी नकदी नहीं माना जाएगा जिस सीमा तक इस प्रकार की नकदी इस प्रकार के सहाकरी बैंक की कृषि ऋण स्थिरता निधि में शेष को दर्शाती है ।

(ii) इस विवरणी की तारीख को नकदी में अन्य बैंकों के पास के शेष या बैंक / मुद्रा नोट, रूपया सिक्का (एक रूपए के नोट सहित) तथा चालू सहायक सिक्के शामिल नहीं होने चाहिए ।

8++ अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों को इसमें केवल भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक में अनिवार्य रूप से रखे जाने वाले अतिरिक्त शेष की राशि दर्शानी चाहिए ।

9+ केवल राज्य औद्योगिक सहकारी बैंकों, मध्यवर्ती सहकारी बैंक, जिला औद्योगिक सहकारी बैंकों, तथा प्राथमिक सहकारी बैंकों पर लागू ।

10 x केवल प्राथमिक सहकारी बैंकों पर लागू ।

11$$ (i) रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मूल्यन की विधि के आधार पर मूलयांकित ।

(ii) धन के निवेश को दर्शानेवाली अनुमोदित प्रतिभूतियों अथवा उनके किसी अंश को भारित अनुमोदित प्रतिभूतियाँ नहीं माना जाएगा ।

££ वर्तमान बाजार कीमत से अनधिक कीमत पर मूल्यांकित ।

****

मास्टर परिपत्र

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)
तथा
सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)

(परिशिष्ट - I)

माह___________ के दौरान बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 18 के अंतर्गत नकदी रिज़र्व निधि बनाए रखने से संबंधित दैनिक स्थिति दर्शाने वाला मासिक विवरण

[गैर-अनसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों पर लागू]

[पैरा 4.3 देखें]

बैंक का नाम :

(निकटतम हजार रुपये तक पूर्णांकित)

	दिनांक	आरक्षित नकदी निधि राशि		घाटा	अधिशेष	टिप्पणी
		बनाए रखना अपेक्षित	वास्तव में बनाए रखी गई			
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						

27.						
28.						
29.						
30.						
31.						

मुख्य कार्यपालक अधिकारी के हस्ताक्षर

____

नाम __________________________

पदनाम__________________________

एनबी : *पराक्रम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के अंतर्गत जब कोई सार्वजनिक अवकाश हो तो इस प्रकार के दिवस से संबंधित आँकड़े पूर्ववर्ती कार्यदिवस से संबंधित होने चाहिए।*

मास्टर परिपत्र

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)
तथा
सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)

एसएलआर प्रतिभूतियों के मूल्यन का विवरण
(शुक्रवार को समाप्त पखवाड़ा _________)

[पैरा 5.7 देखें]

बैंक का नाम:

(दशमलव के दो अंकों तक लाख रुपए में)

विवरण	**अंकित मूल्य**	**बही मूल्य**	**मूल्य नस**	**एसएलआर प्रयोजन के लिए निवल मूल्य (2-3)**
भाग - I	1	2	3	4
सरकारी प्रतिभूतियाँ				
प्रारंभिक शेष				
पखवाड़े के दौरान जुड़ाव (+)				
पखवाड़े के दौरान घटाव (-)				
अंतिम शेष (क)				
भाग - II				
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ				
प्रारंभिक शेष				
पखवाड़े के दौरान जुड़ाव (+)				
पखवाड़े के दौरान घटाव (-)				
अंतिम शेष (क + ख)				

मास्टर परिपत्र

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)
तथा
<u>सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)</u>

(परिशिष्ट - II)

माह ------------------------ के दौरान बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 24 के अंतर्गत तरल आस्तियाँ बनाए रखने से संबंधित दैनिक स्थिति दर्शानेवाला मासिक विवरण
(परिशिष्ट - II)
[सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (अनुसूचित तथा गैर-अनुसूचित) पर लागू]

[पैरा 5.7 देखें]

बैंक का नाम :

(निकटतम हजार रुपये तक पूर्णांकित)

	दिनांक	तरल आस्तियों की राशि		घाटा	अधिशेष	टिप्पणी
		बनाए रखना अपेक्षित	वास्तव में बनाए रखी गई			
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						

	दिनांक	तरल आस्तियों की राशि		घाटा	अधिशेष	टिप्पणी
		बनाए रखना अपेक्षित	वास्तव में बनाए रखी गई			
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						

मुख्य कार्यपालक अधिकारी के हस्ताक्षर ____________________

नाम____________________________

पदनाम ____________________________

एनबी : *परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के अंतर्गत जब कोई सार्वजनिक अवकाश हो तो इस प्रकार के दिवस से संबंधित आँकड़े पूर्ववर्ती कार्यदिवस से संबंधित होने चाहिए ।*

मास्टर परिपत्र

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)
तथा
सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की क्रमश:
धारा 18 एवं 24 के अंतर्गत बनाई रखी गई नकदी रिज़र्व निधि तथा तरल आस्तियों
की दैनिक स्थिति दर्शाने वाला रजिस्टर (प्राथमिक सहकारी बैंकों के लिए)
(पैरा 2.2 देखें)

(निकटतम हजार रुपये तक पूर्णांकित)

	माह एवं वर्ष																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
भाग - क																															
I. बैंकिंग प्रणाली के प्रति भारत में देयताएं £$																															
(क) मांग देयताएं																															
(i) भारतीय स्टेट बैंक, सहायक बैंकों एवं तत्संबंधी नए बैंकोंद्वारा सहकारी बैंक में रखे गए चालू खातों में जमा शेषों का योग																															
(ii) बैंकिंग प्रणाली के प्रति अन्य माँग देयताओं का योग																															
(ख) बैंकिंग प्रणाली के प्रति मीयादी देयताएं																															

	माह एवं वर्ष																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
I का योग																															
II. अन्य के प्रति भारत में देयताएं £X																															
(क) माँग देयताएं																															
(ख) मीयादी देयताएं																															
II का योग																															
III. भारत में बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियाँ																															
(क) भारतीय स्टेट बैंक, सहायक बैंकों तथा तत्संबंधी नए बैंकों स्थित चालू खातों में कुल जमा शेष का %																															
(ख) बैंकिंग प्रणाली में अन्य आस्तियों का जोड़ अर्थात् (i) मद III (क) में शामिल को छोड़कर अन्य खातों में शेष (ii)मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा, (iii) अग्रिम, और (iv) अन्य आस्तियां																															
IV. अधिनियम की धारा 18 और 24 के प्रयोजन के लिए कुल (निवल) मांग और मीयादी देयताएं = (I-III) + II यदि (I-II) प्लस आंकड़ा है, या केवल II, यदि (I-III) माइनस आंकड़ा है ।																															
V. हाथ में नकदी																															
VI.निम्नलिखित के पास चालू खाते में शेष																															
	माह एवं वर्ष																														

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(क) भारतीय रिजर्व बैंक ++																															
(ख)संबंधित राज्य का राज्य सहकारी बैंक*+%																															
(ग)संबंधित जिले का मध्यवर्ती सहकारी बैंक *%																															
VI का जोड़																															
VII. अन्य सभी खातों में निम्नलिखित के पास शेष																															
(क) संबंधित राज्य का राज्य सहकारी बैंक *+%																															
(ख) संबंधित जिले का मध्यवर्ती सहकारी बैंक *+%																															
VII का जोड़																															
VIII.चालू खाते में निवल शेष अर्थात् I(क)II की तुलना III(क) का अधिक																															
भाग-ख : धारा 18 का अनुपालन (अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों पर लागू नहीं)																															
IX. दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को IV का 3 प्रतिशत																															
X. वास्तव में बनाए रखा गया नकदी रिजर्व = V+VI+VIII																															
भाग-ग : धारा 24 का अनुपालन: (अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों पर लागू नहीं)																															
XI.दूसरे पूववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को IV का 25 प्रतिशत (या ऊपर निर्दिष्ट प्रतिशत)																															

	माह एवं वर्ष																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
XII.वास्तव में बनाए रखी गई आस्तियां																															
(क) भारत में बनाए रखे गए नकदी और अन्य शेष X-IX+VII																															
(ख) स्वर्ण ££																															
(ग)अभारित अनुमोदित प्रतिभूतियां $$																															
XII का जोड़																															
भाग-घ : धारा 24 का अनुपालन (अनुसूचित/राज्य सहकारी बैंकों पर लागू)																															
XIII. दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को IV का 25 प्रतिशत (या उच्चतर निर्दिष्ट प्रतिशत)																															
XIV.वास्तव में बनाए रखी गई आस्तियां																															
(क) हाथ में नकदी																															
(ख)भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष से अधिक बनाए रखा गया शेष [अर्थात् : VI (क)]																															
(ग) चालू खाते में निवल शेष (अर्थात्, VIII)																															
(घ) स्वर्ण ££																															
(ङ)अभारित अनुमोदित आस्तियां $$																															
XIV का जोड़																															

मास्टर परिपत्र

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)
और
सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)

प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा बनाए रखी गई नकदी आरक्षित निधियों और तरल आस्तियों की दैनिक स्थिति दर्शाने वाले रजिस्टर की विविध मदों के अंतर्गत आंकडों के समेकन के लिए स्पष्टीकरण

[पैरा 2.4 देखें]

1. "भारत में देयताएं" में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे -
   (i) चुकता पूंजी या आरक्षित निधि या सहकारी बैंक के लाभ-हानि लेखा में कोई जमा शेष;
   (ii) संबंधित राज्य के राज्य सहकारी बैंक से या संबंधित जिले के मध्यवर्ती सहकारी बैंक से प्राथमिक सहकारी बैंक द्वारा लिया गया कोई अग्रिम;
   (iii) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 की धारा 3 के अंतर्गत राज्य सरकार, रिज़र्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय आयात - निर्यात बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम स्थापना से लिया गया कोई अग्रिम;
   (iv) सहकारी बैंक द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों की जमानत पर लिया गया अग्रिम या ली गई कोई ऋण व्यवस्था;
   (v) किसी भी सहकारी बैंक के मामले में जिसने उसके पास रखे गए शेष की जमानत पर कोई अग्रिम दिया है, ऐसे अग्रिम के संबंध मे बकाया राशि की मात्रा तक ऐसा शेष ।
2. "बैंकिंग प्रणाली" अभिव्यक्ति में निम्नलिखित बैंक और वित्तीय संस्थाएं शामिल हैं, नामत:
   (i) भारतीय स्टेट बैंक
   (ii) सहायक बैंक
   (iii) तत्सम नए बैंक
   (iv) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
   (v) बैंकिंग कंपनियां
   (vi) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 18 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (घ) के अंतर्गत इस संबंध मे भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य वित्तीय कंपनियां यदि कोई हों।
3. मीयादी देयताओं में सावधि जमाराशियां, नकदी प्रमाणपत्र, संचयी और आवर्ती जमाराशियां, बचत बैंक जमाराशियो का मीयादी देयता अंश, स्टाफ सुरक्षा जमा, साख पत्र यदि मांग पर देय न हो तो, की जमानत पर धारित मार्जिन, और ऊपर मद 1 (v) के अधीन अग्रिमों के लिए जमानत के रूप में धारित सावधि जमाराशियां।
4. सावधि जमा राशि में (i) कर्मचारियों की भविष्य निर्वाह निधि जमाराशियां, (ii) स्टाफ सुरक्षा जमा, (iii) आवर्ती जमाराशियां, (iv) नकदी प्रमाणपत्र, (v) मांग जमाराशियां जिनके लिए 14 से अधिक दिनों की सूचना अवधि आवश्यक है, (vi) प्रोविडेंट डिपॉजिट्स, (vii) ठेकेदारों की बयाना रकम जमाराशियों आदि जैसी अन्य विविध जमाराशियां शामिल हैं।
5. मांग देयताओं में चालू जमाराशियां, बचत बैंक जमाराशियों की मांग देयताओं का अंश, साखपत्रों/गारंटियों की जमानतपर धारित मार्जिन, अतिदेय सावधि जमाराशियों का शेष, नकदी प्रमाणपत्र और संचयी/आवर्ती जमाराशियां, बकाया तार और डाक अंतरण, मांग ड्राफ्ट, अदावाकृत जमाराशियां, लिखत वसूली खाते में जमा शेष और मांग पर देय अग्रिमों के लिए जमानत के रूप में धारित जमाराशियां शामिल हैं।

6. चालू जमाराशियों में (i) मांग जमाराशिया जिनके लिए 14 या उससे कम दिनों की सूचना अवधि आवश्यक होती है, (ii) लिखत वसूली खाते में जमा शेष, (iii) परिपक्व सावधि जमाराशि जो निकाली न गई हो आदि।

7. किसी सहकारी बैंक के संबंध में "चालू खातों में निवल शेष" का अर्थ भारतीय स्टेट बैंक या किसी सहायक बैंक के चालू खाते में इस प्रकार के सहकारी बैंक में कथित बैंकों के कुल ऋण शेष से अधिक कुल ऋण शेष, यदि कोई हो, होगा।

8. देयताओं के अभिकलन के लिए, किसी सहकारी बैंक की भारतीय स्टेट बैंक, कोई सहायक बैंक, कोई तत्सम नए बैंक, कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोई बैंकिंग कंपनी या इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई वित्तीय संस्था को देय सकल देयताओं को कथित सभी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं की सहकारी बैंक को देय सकल देयताओं में से घटा दिया जाएगा।

9. अन्य मांग और मीयादी देयताओं में जमाराशियों पर उपचित ब्याज, देय बिल, अदत्त लाभांश और अन्य बैंकों, या जनता को देय उचंत खाता शेषों की राशि शामिल है।

10. "बैंकिंग प्रणाली" के बाहर से (जैसे जीवन बीमा निगम, भारतीय युनिट ट्रस्ट आदि) से प्राप्त मांग और अल्प सूचना मुद्रा को मद सं. II के सामने दर्शाया जाए।

11. यदि कोई बैंक 'अन्य मांग देयताओं' और 'मीयादी देयताओं' में से 'बैंकिंग प्रणाली' को देय देयताओं को अलग नहीं कर सकता है तो सकल 'अन्य मांग देयताओं' और 'मीयादी देयताओं' को मद 'भारत में अन्य के प्राप्त देयताएं' के सामने दर्शाया जाए।
   (i) मांग देयताएं, और
   (ii) मीयादी देयताएं, जो भी स्थिति हो।

12. उन उधारों के अलावा जिन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 18 (I) के स्पष्टीकरण के खंड (क) (ii) और (iii) के अंतर्गत शामिल नही किया गया है, केवल मांग और मीयादी उधारों को इस मद के सामने दर्शाया जाए।

13. 'अन्य मांग देयताएं' और 'अन्य मीयादी देयताएं', जैसी भी स्थिति हो, में दस से अधिक वर्षों से अदावाकृत जमाराशियां, बाहरी देयताओं के रूप में प्रावधान (जैसे कि देय आयकर और अन्य कर, देय लेखा परीक्षा शुल्क, देय स्थापना प्रभार आदि) देय ब्याज, देय अधिलाभ, देय बिल, देय लाभांश, शेयर सस्पेंस, अन्य सस्पेंस और फुटकर मदें (जो बाहरी देयताए हैं) आदि शामिल होंगे।

14. यदि किसी सहकारी बैंक ने संबंधित राज्य के राज्य सहकारी बैंक या संबंधित जिले के मध्यवर्ती सहकारी बैंक के पास बनाए रखे गए शेष की जमानत पर कोई अग्रिम लिया हो तो ऐसे शेष को उस सीमा तक जिस हद तक उसकी जमानत पर अग्रिम लिया गया है, भारत में बनाए रखा गया शेष नहीं माना जाएगा।

15. निम्नलिखित प्रयोजन के लिए राशि के अभिकलन को भारत में बनाए रखा गया शेष माना जाएगा, नामत :
   (i) किसी भी सहकारी बैंक द्वारा भारत में खुद उसके पास या संबंधित राज्य के राज्य सहकारी बैंक के पास, या रिज़र्व बैंक के पास चालू खाते में या चालू खाते में निवल शेष के जरिए, और, किसी प्राथमिक सहकारी बैंक के मामले में संबंधित जिले के मध्यवर्ती सहकारी बैंक के पास धारा 18 के अंतर्गत बनाए रखे जानेवाली सकल नकदी या शेषों से अधिक बनाए रखी गई नकदी या शेष का राशि;
   (ii) चालू खाते में कोई भी निवल शेष।

16. भारत में बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं:
   (i) "बैंकिंग प्रणाली" में चालू खाते में (क) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास (ख) अन्य बैंकों और निर्दिष्ट वित्तीय संस्थाओं के पास शेष;
   (ii) बैंकों और निर्दिष्ट वित्तीय संस्थाओं के पास सभी अन्य खातों में शेष;
   (iii) पखवाड़े या उससे कम अवधि के लिए मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय ऋणों या जमाराशियों के जरिए 'बैंकिंग प्रणाली' में उपलब्ध की गई निधियां;
   (iv) 'मांग और अल्प सूचना मुद्रा' के अलावा 'बैंकिंग प्रणाली' को उपलब्ध कराए गए ऋण; और
   (v) बैंकिंग प्रणाली से देय कोई भी राशि जिसे उक्त किसी भी मद में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, उदाहरण के लिए आंतर बैंक विप्रेषण सुविधा योजना के मामले में, आज की तारीख तक बैंक द्वारा अन्य बैंकों के पास धारित कुल राशि (मार्गस्थ और अन्य खातों में) यहां दर्शायी जाएगी क्योंकि ऐसी राशियों को "शेष" या 'मांग मुद्रा' या 'अग्रिम' नही माना जा सकता।

इस संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी बैंक ने उधार व्यवस्था के लिए दूसरे बैंक के पास प्रतिभूतियां रखी हैं, तो ऐसी प्रतिभूतियों को या उसके भार रहित अंश को उधारकर्ता बैंक द्वारा 'बैंकिंग प्रणाली' में 'आस्तियां' के रूप में नहीं दर्शाया जाना चाहिए। उसी प्रकार जिस बैंक ने प्रतिभूतियां प्राप्त की हैं उसे उन प्रतिभूतियों को 'बैंकिंग प्रणाली' को देय "अन्य देयताएं" के रूप में नहीं दर्शाना चाहिए।

चल धन के रूप में धारित मुद्रा और रूपया नोटों और सिक्कों को भारत में नकदी (अर्थात् हाथ मे नकदी) के रूप में दर्शाया जाना चाहिए । तथापि, किसी बैंक द्वारा धारित विदेशी मुद्रा को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए।

17. नकदी में अन्य बैंकों के पास शेष या बैंक/मुद्रा नोटों, रूपया सिक्कों (एक रूपये के सिक्कों सहित) और रजिस्टर में प्रविष्टि करने की तारीख तक प्रचलित अनुषंगी सिक्कों के अलावा अन्य मदों को शामिल नहीं करना चाहिए।

18. भाररहित अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मूल्यन प्रणाली (वर्तमान में उस कीमत पर मूल्यन किया जाता है जो वर्तमान बाजार मूल्य से अधिक नहीं है) के आधार पर किया जाए।

19. किसी सहकारी बैंक की "भाररहित प्रतिभूतियां" में किसी अग्रिम या किसी अन्य ऋण व्यवस्था के लिए अन्य संस्थाओं के पास रखी उसकी अनुमोदित प्रतिभूतियां उस सीमा तक शामिल होंगी जिस सीमा तक उन प्रतिभूतियों की जमानत पर अग्रिम लिया गया हो।

20. स्वर्ण का मूल्यन उस कीमत पर किया जाना है जो वर्तमान बाजार मूल्य से अधिक न हो।

****

मास्टर परिपत्र

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)
और
सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)

क. **मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची**

0.	परिपत्र सं.	तारीख	विषय
1.	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).सं.41/12.05.001/2008-09	29.01.2009	आईडीबीआई बैंक लि.,के पास शेष - सीआरआर / एसएलआर प्रयोजन हेतु निरुपण
2.	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).सं.37/16.26.000/2008-09	21.01.2009	सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश- धारा 24 क के अंतर्गत छूट
3.	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).सं.9/12.03.000/2008-09	05.01.2009	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1)- सीआरआर बनाए रखना
4.	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).सं. 28/16.26.000/2008-09	26.11.2008	धारा 24 - सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश
5.	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).सं. 8/12.03.000/2008-09	03.11.2008	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1)- सीआरआर बनाए रखना
6.	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).सं. 7/12.03.000/2008-09	16.10.2008	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1)- सीआरआर बनाए रखना
7.	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).सं. 5/12.03.000/2008-09	10.10.2008	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1)- सीआरआर बनाए रखना
8.	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).सं. 4/12.03.000/2008-09	07.10.2008	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1)- सीआरआर बनाए रखना
9.	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).सं. 20/12.05.001/2008-09	30.09.2008	डीसीसीबी/एससीबी में रखी गयी जमाराशि को एसएलआर अनुपात के रूप में माना जाना
10	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).सं. 1/12.03.000/2008-09	31.07.2008	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1)- सीआरआर बनाए रखना
11	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).सं. 3/12.05.001/2008-09	11.07.2008	आईडीबीआई बैंक लि.,के पास शेष - सीआरआर / एसएलआर प्रयोजन हेतु निरुपण
12	आरबीआई/2007-08/386 संदर्भ.शबैंवि(पीसीबी).सं.6/12.03.000/2007-08	26.6.2008	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1)- सीआरआर बनाए रखना
13	आरबीआई/2007-08/307 संदर्भ.शबैंवि(पीसीबी).सं.5/12.03.000/2007-08	30.4.2008	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1)- सीआरआर बनाए रखना
14	आरबीआई/2007-08/293 संदर्भ.शबैंवि(पीसीबी).सं.4/12.03.000/2007-08	22.4.2008	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1)- सीआरआर बनाए रखना
15	आरबीआई/2007-08/177 शबैंवि(पीसीबी).सं.3/12.03.000/2007-08	1.11.2007	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1)- सीआरआर बनाए रखना
16	आरबीआई/2007-08/142 शबैंवि(पीसीबी).सं.17/12.05.001/2007-08	20.9.2007	डीसीसीबी/एससीबी में रखी जमाराशियों का एसएलआर के रूप में व्यवहार

17	आरबीआई/2007-08/110 शबैवि(पीसीबी).सं.9/12.03.000/2007-08	31.7.2007	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1)-सीआरआर बनाए रखना
18	शबैवि(पीसीबी).परि.सं.7/12.03.000/2006-07	25.4.2007	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1)-सीआरआर बनाए रखना
19	शबैवि(पीसीबी).परि.सं.6/12.03.000/2006-07	25.4.2007	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1)-सीआरआर बनाए रखना - छूट प्राप्त श्रेणियां
20	शबैवि(पीसीबी).परि.सं.5/12.03.000/2006-07	05.04.2007	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1)-सीआरआर बनाए रखना
21	शबैवि(पीसीबी).परि.सं.4/12.03.000/2006-07	01.03.2007	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1)-सीआरआर बनाए रखना - छूट प्राप्त श्रेणियां
22	शबैवि(पीसीबी).परि.सं.3/12.03.000/2006-07	01.03.2007	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1)-सीआरआर बनाए रखना
23	शबैवि(पीसीबी).परि.सं.2/12.03.000/2006-07	14.02.2007	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1)-सीआरआर बनाए रखना
24	शबैवि(पीसीबी).परि.सं.22/16.26.000/2006-07	11.12.2006	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1)-सीआरआर बनाए रखना
25	शबैवि (पीसीबी)परि.सं.6/ 16.26.000/2006-07	16.08.2006	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1)-सीआरआर बनाए रखना
26	शबैवि (पीसीबी)परि.सं.59/ 16.26.000/2005-06	22.06.2006	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (संशोधन)-सीआरआर बनाए रखना
27	शबैवि (पीसीबी)परि.सं.60/ 16.26.000/2005-06	22.06.2006	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (संशोधन)-सीआरआर बनाए रखना
28	शबैवि (पीसीबी)परि.सं.31/ 16.26.000/2005-06	17.02.2006	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू)-शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश-धारा 24क के अंतर्गत छूट
29	शबैवि(पीसीबी).बीपीडी.परि.सं.41/ 16.20.000/2005-06	29.03.2006	शहरी सहकारी बैंकों का निवेश संविभाग - निवेशों का वर्गीकरण तथा मूल्यन
30	शबैवि(पीसीबी).परि.सं.41/ 16.20.00/2004-05	28.03.2005	शहरी सहकारी बैंकों का निवेश संविभाग - निवेशों का वर्गीकरण तथा मूल्यन
31	शबैवि(पीसीबी).परि.सं.19/ 16.11.00/2004-05	13.09.2004	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1)-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सीआरआर बनाए रखना
32	शबैवि.आईपी(पीसीबी)परि.सं. 16.11.00/2002-03	29.4.2003	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सीआरआर बनाए रखना
33	शबैवि.बीआर.सं.7/16.11.00/ 2002-03	12.12.2002	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - पात्र सीआरआर शेषों पर मासिक आधार पर ब्याज का भुगतान
34	शबैवि.बीआर.परि.सं.12/ 16.11.00/2001-02	20.5.2002	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सीआरआर बनाए रखना
35	शबैवि.बीआर.परि.सं.11/ 16.11.00/2001-02	29.4.2002	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सीआरआर बनाए रखना
36	शबैवि.बीआर.(पीसीबी)परि.सं.	22.10.2001	बैंक दर में परिवर्तन

	20./16.11.00/2001-02		
37	शबैवि.सं.बीआर.परि.42/ 16.26.00/2000-01	19.4.2001	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 24 - शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश
38	शबैवि.सं.सीओबीआर.6/ 16.26. 00/1999-2000	27.4.2000	अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा बनाए रखा जाने वाला नकदी शेष
39	शबैवि.सं.बीआर.13ए/ 16.11. 00/1999-2000	29.10.1999	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की 42(1)
40	शबैवि.सं.बीएसडी.I.28/ 12.05. 01/1998-99	23.4.1999	अंतर शाखा खातें - पुरानी बकाया जमा प्रविष्टियाँ
41	शबैवि.सं.बीआर.पीसीबी.परि.21/ 16.26.00/1998-99	1.3.1999	सीआरआर/एसएलआर बनाए रखने में कमी पर दंडात्मक ब्याज दर
42	शबैवि.(एसयूबी).बीआर.21/ 16.26.00/1997-98	20.6.1998	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के अंतर्गत सीआरआर बनाए रखना और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ((जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 24 के अंतर्गत एसएलआर बनाए रखना
43	शबैवि.सं.(परि).बीआर.60/ 16. 26.00/1997-98	25.5.1998	बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 18 और 24 - सीआरआर और एसएलआर बनाए रखना और फार्म 1 में विवरणी प्रस्तुत करना
44	शबैवि.सं.बीआर.पीसीबी.परि.52/ 16.26.00/1997-98	29.4.1998	सीआरआर/एसएलआर बनाए रखने में कमी पर दंडात्मक ब्याज दर
45	शबैवि.सं.बीआर.पीसीबी.परि.51/16. 26.00/1997-98	11.4.998	सीआरआर/एसएलआर बनाए रखने में कमी पर दंडात्मक ब्याज दर
46	शबैवि.सं.16/24.00./1997-98	18.3.1998	सीआरआर/एसएलआर बनाए रखने में कमी पर दंडात्मक ब्याज दर
47	शबैवि.सं.बीआर.पीसीबी.परि.36/ 16.11.00/1997-98	16.1.1998	सीआरआर/एसएलआर बनाए रखने में कमी पर दंडात्मक ब्याज दर
48	शबैवि.सं.बीआर.एसयूबी.18/16.11. 00/97-98	2.121997	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1क) - अनिवासी (बाह्य) रूपया खातों पर सीआरआर - (एनआरई) खाता योजना
49	शबैवि.सं.बीआर.16/16.04.00/ 1997-98	6.11.1997	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 - सीआरआर बनाए रखना
50	शबैवि.सं.बीआर.पीसीबी.परि.17/16. 11.00/1997-98	6.11.1997	सीआरआर/एसएलआर बनाए रखने में कमी पर दंडात्मक ब्याज दर
51	शबैवि.सं.बीआर.एसयूबी.10/ 16.11.00/96-97	15.4.1997	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1क) - अनिवासी (बाह्य) रूपया खातों पर सीआरआर - (एनआरई) खाता योजना
52	शबैवि.सं.बीआर.एसयूबी.12/ 16.11.00/96-97	15.4.997	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताओं पर सीआरआर में परिवर्तन
53	शबैवि.सं.बीआर.एडी.18/16. 11.00/1996-97	15.4.1997	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1क) - विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते (बैंक) [एफसीएनआर(बी)] योजना पर सीआरआर - अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रूपया जमा (एनआरएनआर)
54	शबैवि.सं.बीआर.पीसीबी.परि.53/ 16.11.00/96-97	15.4.1997	सीआरआर/एसएलआर बनाए रखने में कमी पर दंडात्मक ब्याज दर

55	शबैवि.सं.बीआर.70/16.04.00/ 1995-96	29.6.1996	रिज़र्व अपेक्षाओं के लिए समायोजन की अवधारणा - प्राइमरी डीलरों के साथ लेन-देन
56	शबैवि.सं.बीआर.एसयूबी.5/16. 11.00/95-96	3.4.1996	अनिवासी (बाह्य) रुपया जमा खाता (एनआरई खाते) के अंतर्गत जमाराशियों पर सीआरआर
57	शबैवि.सं.बीआर.एडी-5/16.11. 00/1995-96	6.1.1996	अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा (एनआरएनआर) योजना और विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते(बैंक) एफसीएनआर(बी) योजना पर सीआरआर
58	शबैवि.सं.बीआर.परि.33./16.26.00 /1995-96	3.1.1996	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) धारा 24 (-) प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश
59	शबैवि.सं.बीआर.एडी- 4/16.11.00/1995-96	6.12.1995	विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते (बैंक) एफसीएनआर(बी) योजना पर सीआरआर
60	शबैवि.सं.बीआर/एडी/2/16.11.00/ 1995-96	11.11.1995	विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते (बैंक) योजना पर सीआरआर
61	शबैवि.सं.बीआर.एडी/1/16.11.00/1 995-96	2.11.1995	अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रूपया जमा (एनआरएनआर) योजना पर सीआरआर
62	शबैवि.सं.बीआर.एसयूबी.2/16.11.0 0/1995-96	2.11.1995	अनिवासी (बाह्य) रूपया खाता (एनआरई खाता) के अंतर्गत जमारशियों पर सीआरआर
63	शबैवि.सं.बीआर.(परि.)21/16.26.0 0/1995-96	12.10.1995	सीआरआर के लिए प्रतिभूतियों का मूल्यन
64	शबैवि.सं.सीओ.(बीआर)एडी.3/16.0 5.00/1995-96	29.9.19995	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 - सीआरआर - दैनिक आधार पर 85 प्रतिशत का न्यूनतम स्तर बनाए रखना
65	शबैवि.सं.परि.63/16.26.00/1994- 95	16.6.1995	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 24 प्राथमिक सहकारी बैकों द्वारा सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश
66	शबैवि.सं.सीओ(बीआर).एसयूबी.5/1 6.26.00/1994-95	28.3.1995	अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा बनाए रखा जानेवाला नकदी शेष
67	शबैवि.सं.बीआर.35/16.04.00/199 4-95	31.12.1994	रिज़र्व अपेक्षाओं के लिए समायोजन की अवधारणा - भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम लि. के साथ लेन-देन
68	शबैवि.बीआर.3/16.26.04/1994- 95	13.12.1994	अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा बनाए रखा जानेवाला नकदी शेष
69	शबैवि.बीआर.379/16.11.00/1994 -95	13.12.1994	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - रिज़र्व अपेक्षाएं बनाए रखने से छुट की जमा श्रेणी के लिए फार्म बी में विवरणी
70	शबैवि.सं.बीआर.2/16.26.00/1994 -95	24.11.1994	सरकारी स्टॉक 2002 की नीलामी जिसके लिए भुगतान किस्तों में किया गया
71	शबैवि.बीआर.44/16.26.00/1994- 95	22.7.1994	सीआरआर और एसएलआर बनाए रखना
72	शबैवि.परि.(पीसीबी)सं.53/16.26.0 0/1993-94	8.2.1994	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 18 और 24 के अंतर्गत क्रमश: सीआरआर और एसएलआर बनाए रखना - दैनिक स्थिति प्रस्तुत करना
73	शबैवि.सं.परि.(एसयूबी)158/16.26. 00/1993-94	8.2.1994	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 24 के अंतर्गत तरल आस्तियाँ बनाए रखना - फार्म 1 में विवरणी के साथ दैनिक स्थिति प्रस्तुत करना

74	शबैवि.सं.155/16.26.00/1993-94	25.1.1994	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 18 और 24 - दंड
75	शबैवि.बीआर.48,49/16.11.00/1993-94	14.7.1993	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - फार्म बी में विवरणी - रिज़र्व अपेक्षाएं बनाए रखने से छुट की श्रेणिवाली जमाराशियां
76	शबैवि.सं.बीआर.72/ए.12(24)/1992-93	12.5.1993	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 18 और 24 के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के अंतर्गत सीआरआर और एसएलआर बनाए रखना
77	शबैवि.सं.बीआर.86/ए.9/1992-93	9.10.1992	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 - सीआरआर बनाए रखना
78	शबैवि.सं.आरबीएल.125/i/1991-92	3.6.1992	अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक - भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के अंतर्गत विवरणी पर स्पष्टीकरण
79	शबैवि.सं.बीआर.773/ए.9/1991-92	5.5.1992	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 - सीआरआर बनाए रखना
80	शबैवि.बीआर.349/ए.9/1991-92	8.11.1991	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 - सीआरआर बनाए रखना
81	शबैवि.सं.बीआर.762/ए.9/1990-91	29.5.1991	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 - सीआरआर बनाए रखना
82	शबैवि.बीआर.581/ए.9/1990-91	4.3.1991	भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित बैंक नियमावली 1951- राष्ट्रीय आवास बैंक की गृह ऋण खाता योजना के अंतर्गत स्वीकृत जमाराशियों का फार्म बी में वर्गीकरण
83	शबैवि.बीआर.400/ए.9/1990-91	24.12.1990	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) के अंतर्गत न्यूनतम औसत शेष बनाए रखना
84	शबैवि.बीआर.194/ए.9/1991-92	28.8.1990	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) के अंतर्गत न्यूनतम औसत शेष बनाए रखना
85	शबैवि.बीआर.19/ए.6/1989-90	10.3.1990	रिज़र्व अपेक्षाओं के लिए समायोजन की अवधारणा - डिस्काउंट अँड फाइनान्स हाऊस ऑफ एंडिया (डीएफएचआय) - के साथ लेनदेन
86	शबैवि.बीआर.50/ए.12(24)/1989-90	18.1.1990	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - एसएलआर के लिए पात्र प्रतिभूतियाँ - किसान विकास पत्र और सरदार सरोवर नर्मदा निगम लि. के पास सावधि जमाराशियाँ
87	शबैवि.सं.आरबीएल.835/1.88-89	27.3.1989	शहरी सहकारी बैंकों को अनुसूचित दर्जा प्रदान करना - नकदी रिज़र्व और तरल आस्तियों का अभिकलन और विविध सांविधिक विवरणियाँ प्रस्तुत करना
88	शबैवि.आरबीएल.315/1-88-89	10.10.1988	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अंतर्गत अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा पाक्षिक विवरणियाँ प्रस्तुत करना
89	शबैवि.बीआर.229/ए.9/1988-89	9.9.1988	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में चूने गये प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को शामिल करना
90	शबैवि.बीआर.163/ए.9/1988-89	19.8.1988	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की दूसरी अनुसूची में आपके बैंक का नाम शामिल करना
91	शबैवि.सं.बीआर.35/ए.12/24/1986-87	18.10.1986	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) - धारा 18 और 24 मांग और मीयादी

			देयताओं का अभिकलन
92	शबैवि.सं.बीआर.1455/ए.12(24)/1885-86	31.3.1986	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) धारा 24 - भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा जारी यूनिटों में निवेश
93	शबैवि.बीआर. 871/ए.12(24)/1984-85	10.5.1985	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) - की धारा 24 - राष्ट्रीय जमा योजना के अंतर्गत किया गया निवेश
94	शबैवि.बीआर.764ए/ए.6/1984-85	29.3.1985	बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983-84 - बकाया उपबंधों को लागू करना
95	शबैवि.सं.बीआर.498/ए.12(24)/1984-85	8.1.1985	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) - की धारा 24 - प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों निवशे
96	शबैवि.बीआर.16/ए.6/1984-85	9.7.1884	बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम 1983
97	डीबीओडी.सं.यूबीडी.बीआर.180/ए.6/1982-83	21.9.1982	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) में संशोधन
98	एसीडी.आयडी.(डीसी)1800/आर.36/1979-80	10.1.1980	7 वर्षीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांडों के अभिदान / खरीद से संबंधित निदेश
99	एसीडी.बीआर.277/बी.1/1974-75	30.9.1974	बैंककारी विनियमन (सहकारी सोसायटियां) नियम, 1966 नियम 5 और 9 में संशोधन एवं उसके अंतर्गत निर्धारित विवरणियों के फार्म I और VII में परिवर्तन
10	एसीडी.बीआरएल.612/सी./1971-72	24.1.1972	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 18 और 24 के अंतर्गत बनाए रखे गए नकदी रिज़र्व और तरल आस्तियों की दैनिक स्थिति दर्शानेवाला रजिस्टर - प्राथमिक सहकारी बैंक
10	एसीडी.बीआर.760/ए.1/1968-69	23.1.1969	बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम 1968
10	एसीडी.बीआर.750/बी.1/1967-68	24.11.1967	बैंकिंग विधि (सहकारी सोसायटियों पर लागू) अधिनियम, 1965
10	एसीडी.बीआर.474/ए.12(24)/1967-68	27.9.1967	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 24 - तरल आस्तियाँ बनाए रखना
10	एसीओडी.बीआर.392/बी.1/1965-66	1.3.1966	बैंकिंग विधि (सहकारी सोसायटियों पर लागू) अधिनियम, 1965
10	एसीडी.बीआर..333/ए.1/1965-66	9.2.1966	बैंकिंग विधि (सहकारी सोसायटियों पर लागू) अधिनियम, 1965

ख. **उन परिपत्रों की सूची जिनसे आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर), सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) और अन्य संबंधित मामलों से संबंधित में अनुदेशों को इस मास्टर परिपत्र में शामिल किया गया है।**

क्र.सं.	**परिपत्र सं.**	**तारीख**	**विषय**	**परिपत्र की पैरा सं.**	**मास्टर परिपत्र की पैरा सं.**
1.	शबैवि.डीसी.एसयूसी.156ए/ 13.02.00/ 1993-94	31.1.1994	विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण (पीसीएफसी)	ज्ञापन 8	2.1.5
2.	शबैवि.सं.डीसी.(एसयूसी)/ 153/13.02.00/1993-94	30.12.1993	विदेशी निर्यात बिलों की पुनर्भुनाई	ज्ञापन 8	2.1.5
3.	शबैवि.(एसयूसी)/117/डीसी. V.1(बी)/1992-93	10.5.1993	विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते (बैंक) योजना	2(ix)	2.1.5